स्वस्थ चेतना का वाहक

सहयोग राशि
30/-₹

अगस्त 2026

क्रान्ति

मासिक



आज़ादी का उत्सव और हमारी ज़िम्मेदारियां

विशेष आयोजन

- चरित नायक : पैग़म्बर (सल्ल.)
- मानवता उपकारक
- संसार के लिए दयानिधि
- अर्थजगत के महान सुधारक
- श्रद्धा-सुमन

(An ISO 22000:2005 Certified Company)

OCEANS SECRET

INDIA'S LEADING CANNED FOOD BRAND

- TUNA
- SARDINES
- MACKEREL



www.oceanssecret.in | info@seahath.com | Follow Us: oceanssecret | SHOP ONLINE @ amazon

SEAHATH CANNING CO. Plot - 8, Margao Industrial Estate, Curtorim, GOA, INDIA - 403 709 **CUSTOMER CARE : 0832-2860412**

प्रधान संपादक
डॉ. फ़रहत हुसैन
kantieditorial@gmail\com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
पांच वर्ष 1500/- रु॰ आजीवन रु॰ 5000/
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025
चेक / ड्राफ़्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत
ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
Printer : Akhilesh Singh
Press : AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020
Editor : Shibli Arsalan

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

विचार सौरभ **डॉ. कौसर यज़दानी नदवी**

तलवार चरित्र की

पैग़म्बरे-इस्लाम हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को कौन नहीं जानता।
आप एक सफ़र से लौट रहे थे।
आपके साथ आपके साथी भी थे।
दोपहर के वक़्त आप एक ऐसी घाटी में पहुंचे
जिसमें कांटेदार पेड़ बहुत थे।
धूप बहुत तेज़ थी,
साथी पेड़ों की छाया में, जहां-तहां लेट गए,
आप भी एक पेड़ की छाया में आराम फ़रमाने लगे,
और अपनी तलवार उसी पेड़ पर लटका दी।
सब सो गए।
अचानक आपने अपने साथियों को अपने पास बुलाया।
साथी आ गए।
देखा आपके पास एक देहाती बैठा हुआ है।
आपने बताया,
मैं सोया हुआ था
इसने चुपके से आकर
मेरी तलवार पेड़ से उतार ली,
उसे हाथ में लेकर मेरी हत्या को आगे बढ़ा
उसी क्षण मेरी आंख खुल गई
मैंने देखा उसके हाथ में नंगी तलवार है
और वह मुझसे कह रहा है,
'आपको अब मुझसे कौन बचाएगा ?'
आपके अन्दर का विश्वास जाग उठा,
कड़कदार आवाज़ में बोले 'अल्लाह'
उसने फिर कहा,
'आपको मुझसे कौन बचाएगा ?'
आपने फिर पूरे विश्वास के साथ कहा, 'अल्लाह'
वह एक क्षण के लिए ठिठका
आपने झपट कर उसे अपने क़ब्ज़े में कर लिया।
तलवार अब आपके हाथ में थी,
आप चाहते तो उसकी हत्या कर देते,
जैसा कि उसने प्रयत्न किया था।
लेकिन आपने उसे कोई सज़ा न दी और छोड़ दिया।
वह आपके इस चरित्र से इतना प्रभावित हुआ
कि सत्य धर्म के अपनाने में फिर कोई संकोच न किया।

(प्रथम प्रकाशन : मार्च 1998)

वर्ष 36 अंक 02 अगस्त 2026

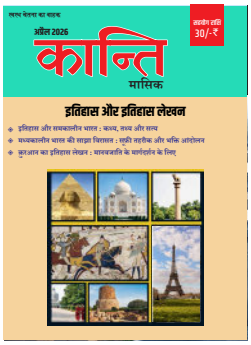



स्वस्थ चेतना का वाहक

कान्ति
मासिक

इस अंक में

➢ तलवार चरित्र की (विचार सौरभ)	– डॉ. कौसर यज़दानी नदवी	3
➢ आज़ादी का उत्सव और हमारी ज़िम्मेदारियां (संपादकीय)	–डॉ. फ़रहत हुसैन	5
➢ अत्यंत भरोसे योग्य हस्ती	–डॉ. फ़रहत हुसैन	6
➢ मार्गदर्शन	–संपादन प्रभाग	7
➢ सब के संरक्षक मुहम्मद (सल्ल.)	–विष्णु प्रभाकर	9
➢ मानवता-उपकारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल.)	–विद्या प्रकाश	11
➢ चरित नायक : हज़रत मुहम्मद (सल्ल.)	–मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	13
➢ संसार के लिए दया-निधि	–देवदास गांधी	17
➢ अर्थजगत के महान सुधारक : पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.)	–डॉ. फ़रहत हुसैन	21
➢ "हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की मानव-कल्याणकारी शिक्षाएं"	– संपादन प्रभाग	24
➢ महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	–क़मर रामनगरी	25
➢ नैतिक मूल्य : मानव प्रगति का वास्तविक आधार	–एफ. ए. मुजीब	27
➢ राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रवाद के बीच विवेक की तलाश	–सुफ़ियान अहमद	29
➢ थार की पुकार	–संपादन प्रभाग	31
➢ हम भारत के लोग : नागरिक या निवासी?	–संपादन प्रभाग	33
➢ ऋण-जाल : समाज के लिए अभिशाप	–एम. एस. शम्सी	35
➢ जब मशीनें सोचने लगें रोज़गार, समाज और आने वाला कल	–डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी	39
➢ लुभावनी बातों से सच्चाई छुपाने की कोशिश	–डॉ. सलीम ख़ान	43
➢ महिला-अधिकार : ईश्वरीय व्यवस्था का अभिन्न अंग	–अज़का हयात	45
➢ "देते हैं भगवान को धोखे...इन्सां को क्या छोड़ेंगे"	–सुफ़ियान अहमद	47
➢ धमकी और सामाजिक बहिष्कार	–मुशर्रफ़ अली	48

संपादकीय



डॉ. फ़रहत हुसैन

आज़ादी का उत्सव और हमारी ज़िम्मेदारियां

हर वर्ष 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और गौरव के साथ मनाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने लगभग दो शताब्दियों के औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने उभरा। स्वतंत्रता की यह वर्षगांठ हर्षोल्लास का अवसर है, साथ ही यह आत्म-चिंतन और आत्म-मंथन का भी दिन है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने व्यापार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, संचार तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक ढांचा सुदृढ़ हुआ है और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ है। अपनी विशाल युवा आबादी, प्राकृतिक संसाधनों तथा अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण भारत विश्व पटल पर एक विशिष्ट स्थान रखता है। हमारा विश्वास है कि देश इससे भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, जिसके लिए निरंतर और समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

सबसे पहली आवश्यकता यह है कि सभी देशवासी एकाग्र मन से राष्ट्र को नैतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दें। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, के बाद औपनिवेशिक इतिहास लेखन के कुछ हिस्सों में भारत के अतीत को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष और मतभेद अपेक्षाकृत अधिक प्रमुख दिखाई देने लगे। अनेक इतिहासकार इसे ब्रिटिश शासन की 'फूट डालो और राज करो' की नीति से जोड़कर देखते हैं।

ऐसी ऐतिहासिक व्याख्याओं ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ाने में कुछ हद तक भूमिका निभाई, ऐसा अनेक विद्वानों का मत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतिहास के इन पक्षों पर व्यापक और निष्पक्ष पुनर्विचार अपेक्षित था। आवश्यकता इस बात की है कि इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों का निष्पक्ष एवं प्रमाणाधारित अध्ययन करें। यदि कहीं पूर्वाग्रह या एकपक्षीय दृष्टिकोण दिखाई दे तो उसे तथ्यों के आधार पर संशोधित रूप में प्रस्तुत किया जाए। अतीत की राजनीतिक परिस्थितियों या शासकों के निर्णयों को आज के नागरिकों के प्रति पूर्वाग्रह अथवा घृणा का आधार नहीं बनने देना चाहिए। वर्तमान और भविष्य के सौहार्दपूर्ण भारत के निर्माण के लिए इतिहास की संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ समझ आवश्यक है।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। देश की बड़ी आबादी कार्यशील और युवा आयु वर्ग में आती है। यह युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार तथा सम्मानजनक रोज़गार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो वह देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में निर्णायक योगदान दे सकती है। विकसित भारत के निर्माण और वैश्विक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में युवा शक्ति, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीन प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए शोध, नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए।

राज्य और सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, सम्मानजनक रोज़गार के अवसर तथा समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी प्रयास करें। साथ ही ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित किया जाए जहां प्रत्येक व्यक्ति अत्याचार, शोषण और भेदभाव से मुक्त होकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सके।

दूसरी ओर प्रत्येक नागरिक का भी यह कर्तव्य है कि वह अनुशासन, ईमानदारी, न्यायप्रियता और नैतिक आचरण को अपने जीवन का आधार बनाए। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सक्रिय सहयोग दे तथा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या किसी अन्य आधार पर भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। क़ानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति से बचना और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। स्वतंत्रता का वास्तविक सम्मान तभी होगा जब हम अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें, उनका निष्ठापूर्वक पालन करें और एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दें जो समृद्ध, न्यायपूर्ण, समावेशी और सौहार्दपूर्ण हो। ■■

अत्यंत भरोसे योग्य हस्ती

• डॉ. फ़रहत हुसैन •

जीवन भरोसे (trust) पर चलता है। संसार में जन्म लेते ही हमारी सबसे विश्वास पात्र हस्ती हमारी मां होती हैं। उनकी मदद से हम बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा के मामले में हम अपने शिक्षक पर भरोसा करते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर पर और मुक़दमे के लिए वकील पर। हम पूरे यक़ीन और ज़िम्मेदारी से बताना चाहते हैं कि मानव समस्याओं, संसार की अनसुलझी गुत्थियों, इंसान की दुनिया में हैसियत, मरने के बाद के जीवन आदि के बारे में मार्गदर्शन के लिए एक अति विश्वासपात्र हस्ती है जो मां, टीचर और फ़ैमिली डॉक्टर से भी कहीं अधिक भरोसे योग्य है वह हैं ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.)। भरोसे योग्य इसलिए कि दुनिया गवाह है–उनके दोस्त भी और विरोधी भी–कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, अपनी स्वयं की पूजा से कड़ाई से रोका, दान पुण्य (ज़कात, सदक़ात) की धनराशि अपने और अपने ख़ानदान की भावी पीढ़ियों के लिए वर्जित कर दी। पूरा सामर्थ्य और पूरा अधिकार प्राप्त होने के बाद भी कट्टर दुश्मनों को क्षमा कर दिया। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के जीवन का मक़सद ही परोपकार और शुभ-चिंता था। उन्होंने लोगों पर न केवल इस दुनिया में परोपकार किया बल्कि अपना पूरा जीवन आम जनों को यह बताने में खपा दिया कि उन्हें मरने के बाद सफलता कैसे प्राप्त हो। यहां तक कि ईश्वर ने स्वयं कहा है कि हमने आपको सर्वजगत के लिए सर्वथा रहमत बनाकर भेजा है। विश्व की ऐसी महानतम हस्ती पर भरोसा करना चाहिए। उनके जीवन तथा आदर्शों को जानना चाहिए।

अद्‌भुत उदारता

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के संदेश में अद् भुत उदारता है। उन पर अवतरित ईशवाणी क़ुरआन आह्वान करता है कि क़ुरआन पर ईमान लाओ और उससे पूर्व जो ग्रंथ अवतरित हुए हैं उन पर भी ईमान लाओ। पूर्व में भेजे गए पैग़म्बरों को मानो और उनमें भेद न करो। हां व्यवहार में अंतिम ईश्वरीय आदेश अर्थात् क़ुरआन तथा अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का अनुसरण करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं वास्तव में मानवता की साझी धरोहर हैं।

अन्य धर्मग्रंथों में उल्लेख

प्रोफ़ेसर वेद प्रकाश उपाध्याय के अनुसार भारतीय धर्मग्रंथों में ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के अंतिम ऋषि के रूप में आगमन की सूचनाएं विद्यमान हैं। मुहम्मद का संस्कृत रूपांतर 'नराशंस' है। चारों वेदों में स्पष्ट निशानियों के साथ नराशंस ऋषि के आगमन की पूर्व सूचनाएं उल्लिखित हैं। कुछ श्लोकों में मामहे ऋषि और कल्कि अवतार भी कहा गया है। भविष्य पुराण और संग्राम पुराण में भी भविष्यवाणियां मौजूद हैं। बौद्ध धर्म के ग्रन्थ में भी सूचना दी गयी है। (देखिए पुस्तक: 'नराशंस और अंतिम ऋषि' –डॉ. वेद प्रकाश उपाध्याय)। इससे स्पष्ट है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) मुसलमानों सहित सारे इंसानों के मार्गदर्शक हैं।

व्यावहारिक जीवन पद्धति

मानवता के परम हितैषी हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने जिस जीवन पद्धति का आह्वान किया , उसको एक भू-भाग में व्यावहारत: चलाकर भी दिखा दिया। दुनिया ने उस क्रांति को अपनी आंखों से देखा और सुंदर व सुखमय बदलाव को महसूस किया। उनकी शिक्षाएं आज भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं तथा वर्तमान युग की जटिल समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती हैं। ■■

आइए! मीलादुन्नबी के इस मुबारक मौक़े पर पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के जीवन और संदेश को जानने की कोशिश करें।



–संपादन प्रभाग

संपूर्ण जगत के लिए दयालुता

"ऐ नबी! हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए रहमत (दयालुता) ही बनाकर भेजा है।" (क़ुरआन, 21:107)

अर्थ यह है कि पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का भेजा जाना वास्तव में मानव जाति के लिए अल्लाह की मेहरबानी और रहमत है क्योंकि उन्होंने आकर ग़फ़लत में पड़ी हुई दुनिया को चौंकाया और उसे वह ज्ञान दिया जो सत्य और असत्य का अंतर खोल देता है और उसको बिल्कुल असंदिग्ध तरीक़े से बता दिया है कि उसके लिए विनाश का रास्ता कौन-सा है और शांति तथा कुशलता का रास्ता कौन-सा है। मक्का के विधर्मी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पैग़म्बर बनाए जाने को अपने लिए परेशानी और मुसीबत समझते थे और कहते थे कि इनके कारण हमारी क़ौम में फूट पड़ गई है। उन्हें बताया जा रहा है कि नादानो! तुम जिसे परेशानी समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे लिए ईश्वर की रहमत और अनुकंपा है।

सर्वश्रेष्ठ नमूना

"वास्तव में तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है।" (क़ुरआन, 33:21)

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के आचरण को इस जगह नमूने या जीवन-आदर्श के रूप में पेश किया गया है। इसलिए इस आयत का तक़ाज़ा यह है कि मुसलमान हर मामले में उनकी ज़िंदगी को अपने लिए नमूने की ज़िंदगी समझें और उसके अनुसार अपने चरित्र और आचरण को ढालें।

अंधेरे से रोशनी की ओर

"ऐ नबी! यह एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी ओर उतारा है ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाओ, उनके प्रभु की कृपा से, उस प्रभु के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप प्रशंसनीय है।" (क़ुरआन, 14:01)

अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाने का अर्थ शैतानी रास्तों से हटाकर ईश्वरीय मार्ग पर लाना है। दूसरे शब्दों में हर वह आदमी जो ईश्वर के मार्ग पर नहीं है, वह वास्तव में अज्ञानता के अंधेरों में भटक रहा है, चाहे वह अपने आपको कितना ही ज्ञानी समझ रहा हो और अपने दावे में कितना ही ज्ञान-प्रकाश से जगमगा रहा हो। इसके विपरीत जिसने ईश्वर का मार्ग पा लिया वह ज्ञान की रोशनी में आ गया, भले ही वह एक अनपढ़ देहाती ही क्यों न हो। ■■

हदीस

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा :

"तुममें से कोई व्यक्ति ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके पिता, उसकी सन्तान और समस्त मनुष्यों से बढ़कर प्रिय न हो जाऊं।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

क़ौम के अहले- सर्वत और
अहले - ख़ैर हज़रात से
ख़ुसूसी अपील

यतीमख़ाना इस्लामिया गया
आपके माली ताआवुन का मुंतज़िर है

109 साल की ख़िदमात



तआरुफ़ इदारा की बुनियाद अक्तूबर 1917 में एक उस्ताद और दो यतीम बच्चों से आठ आने (50 पैसे) माहवार किराया की कोठरी में Rs. 30 रुपये की छोटी-सी रक़म से पड़ी थी **तालीमी साल :** अप्रैल ता मार्च **तालीमी मराहिल :** इब्तिदाई, • सानवी, • आला, • शोबा-ए-हिफ़्ज़ व नाज़रा, • इनायत (I.T.I) • पांच जवानों में तालीम • अरबी • उर्दू • फ़ारसी • हिन्दी • अंग्रेज़ी • तादाद ज़ेरे-तालीम तलबा व तालिबात : तक़रीबन 450 **• तादाद कुल यतीम तलबा** 60 • बेरूनी तलबा, जो अपना ख़र्च देकर हॉस्टल में रहते हैं, उसके अलावा हैं। • तादाद तदरीसी व ग़ैर-तदरीसी स्टाफ़ : 28 **सालाना ख़र्च :** चालीस लाख (RS. 40,00,000) रुपये से ज़्यादा। **ज़रिया आमदनी :** मुस्लिम अवाम के चंदे। **ख़र्चे :** यतीम तलबा का सारा ख़र्च (तआम, क़ियाम, रिहाइश वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त [Free]) ये सारा ख़र्च इदारा पूरा करता है। किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। **याद रखें :** (1) यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन या उजरत पर चंदा वसूल नहीं किया करता है। (2) पांच ज़बानों में क़ुरआन व इस्लामियात के साथ क्लास 1 से मैट्रिक (Matric) तक (जो बिहार बोर्ड से मंज़ूरशुदा है) मेयारी तालीम दी जाती है। • हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक का नज़्म (3) 108 साल से इदारा यतीम और ग़ैर-यतीम तलबा की इस्लामी माहौल में दीनी व असरी तालीम के साथ तालीमी व तरबियती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। (4) इदारा ही के अहाते (Campus) में दो हरे-भरे पार्क के साथ शानदार मस्जिद, तालीमगाह, इक़ामतगाह, मतबख़ और दूसरे शोबे वग़ैरा हैं • इसलिए तलबा को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता है। **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम तालिब-इल्म का सालाना ख़र्च तीस हज़ार रुपये RS. 30,000 है। आप भी इस कारे-सवाब में शरीक हों। • यहां के तलबा को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में आलिमियत के पहले व दूसरे साल में आसानी से दाख़िला मिल जाता है। (5) यतीमख़ाना से मैट्रिक पास करने वाले यतीम तलबा का दाख़िला यतीमख़ाना के इनायत (I.T.I.) में बिल्कुल मुफ़्त (Free) है। उनसे किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। पहले ही की तरह रहने-सहने और खाने-पीने की सारी सहूलियात दी जाती है। **अपील :** इस माद्दापरस्ताना (Materialistic) और जदीद दौर में दीनी व असरी उलूम के रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। • आप आसमान छूती महंगाई में इदारा की भरपूर माली मदद करें। तआवुन की मुख़्तलिफ़ शक्लें हैं जैसे • ज़कात • अतियात • सदकात वग़ैरा और इदारा के बाक़ी तालीमी व तामीरी मन्सूबों के लिए भी रुपये की बहुत ज़रूरत है। इदारा आपसे नन्हे-मुन्ने मासूम यतीम बच्चों को तालीम के साथ-साथ बाहुनर बनाने के लिए और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए फ़राख़दिलाना माली तआवुन की अपील करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत (Nazr-e-Enayeth) यू-ट्यूब (You Tube) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ़ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीऑर्डर भेजने का पता
Hon. Secretary, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE,
Cherki-824237, Distt. : Gaya (Bihar) India

Mobile : 9801213022, Whatsapp No. : 7258063440

Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
Bank A/C No.: 300402010010581 (ज़कात/Zakat)
Bank A/C No.: 300402010002982 (डोनेशन/Donation)
Bank IFSC Code No: UBIN0530042
Bank: UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए-मेहरबानी स्कैन एंड पै पर (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) और नाम व पता ऊपर के व्हाट्सऐप नम्बर पर भेज दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ान (सदर)
9631867066

डॉक्टर जेड. एच. ख़ान
एज़ाज़ी सेक्रेट्री

E-mail : gmocde@yahoo.com.in
Website : www.gmogaya.in

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता क़ायम करें।
जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सदर) समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9934943229
जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9631867066

विशेष आयोजन

सब के संरक्षक मुहम्मद (सल्ल.)

दयालुता-इन्सान के लिए भी पशु-पक्षी के लिए भी

❖विष्णु प्रभाकर

मानवता आख़िर है क्या? क्या उसका संबंध मात्र मानव से है, पशु क्या उसकी परिधि से बाहर है? जननी और मां दोनों शब्द समानार्थक माने जाते हैं। जननी अपने जने को प्यार करती है। स्वाभाविक है; लेकिन मां के साथ जनने की कोई शर्त नहीं है, सब उसके हैं, वह सबकी है, सबको प्यार करती है।

मानवता की परिधि मां की तरह असीम है। मानवीय कल्याण और समवेदन जीव मात्र के संदर्भ में ही सार्थक हो सकते हैं, हुए हैं। इस्लाम धर्म के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के संबंध में यह उतना ही सच है, जितना किसी और के। उल्लिखित है कि एक बार वे एक बग़ीचे में गये। वहां बंधा हुआ था एक ऊंट। जैसे ही उसने पैग़म्बर को देखा, वह अत्यंत करुण स्वर में डकराने लगा। उसकी आंखें बरसने लगी।

"अगर क़यामत आने लगे और तुममें से किसी के हाथ में एक पौधा हो, अगर उसे लगाने की ताक़त रखता हो, तो उसे चाहिए कि पौधे को लगा दे।"
(हदीस : मुस्नद अहमद)

उसका वह करुण स्वर मुहम्मद साहब को कहीं गहरे छू गया। वह तुरन्त उसके पास पहुंचे। उसे पुचकारा। उसके सिर पर, गर्दन पर हाथ फेरा। उसे बार-बार सहलाया, थपथपाया। जब कहीं जाकर वह शांत हुआ।

उसके बाद मुहम्मद साहब ने उसके मालिक को बुला भेजा। कहा, "यह ऊंट पशु है। बोल नहीं सकता। इसलिए क्या तुम इस पर अत्याचार करते ही रहोगे? अल्लाह से भी नहीं डरोगे? अल्लाह ने ही तो तुमको इसका मालिक बनाया है। ऊंट के मालिक ने पूछा, "पर मैंने इस पर क्या अत्याचार किया है ?"

मुहम्मद साहब बोले, "इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इससे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हो। इसे भूखा रखते हो। क्या तुम्हारे ऐसा करने से इसे दुख नहीं होता? क्या इसके जिस्म में जान नहीं है, वैसे ही जैसे तुम्हारे जिस्म में है, मेरे जिस्म में है? तुमको पूरा खाना न मिले तो?"

सुनकर मालिक ने सिर झुका लिया।

इसी प्रकार एक आदमी उनके पास आया। उसके पास एक चादर थी। उसमें कुछ बंधा हुआ था। मुहम्मद साहब ने पूछा, "क्या बंधा है तुम्हारी इस चादर में?"

उस आदमी ने जबाब दिया, "ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जंगल के बीच में से जा रहा था। एकाएक चिड़ियों के बच्चों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। उधर जाकर देखा तो वहां कई बच्चों को पाया। उन्हें उठा कर मैंने चादर में बांध लिया। तभी आ पहुंची उनकी मां। बच्चों को बंधा हुआ देखकर वह फड़फड़ा उठी। मैंने चादर खोल दी। मां बच्चों से आ मिली। मैंने उसे भी चादर में लपेट लिया। वे ही सब इस चादर में बन्द...।"

इससे पहले कि वह अपनी पूरी बात कर पाता, मुहम्मद साहब ने उसे आदेश दिया, "जाओ, तुरन्त इस चिड़िया और बच्चों को वहीं छोड़ आओ, जहां से पकड़ कर लाए हो।"

वह आदमी तुरन्त उलटे पैरों लौट गया।

■■

"आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वह हर सुनी-सुनाई बात (बिना जांच-पड़ताल के) आगे बयान कर दे।
(हदीस : मुस्लिम)"

A Well Wisher

Md. Ishaque
Jabalpur (MP)

विशेष आयोजन

मानवता-उपकारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल.)

❖विद्या प्रकाश

विश्व के तमाम धर्म प्रवर्तकों तथा महापुरुषों की सूची में हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शख़्सियत सबसे आला और किरदार सबसे ऊंचा, पाक और बेमिसाल है। जिस वक़्त उनकी पैदाइश हुई, उस वक़्त अरब की सामाजिक स्थिति बहुत ख़राब थी। औरतों की न कोई सामाजिक हैसियत थी और न सम्मान था। समाज में बेटियों की हत्या की रिवायत थी तथा कुछ लोग अपनी पुत्रियों को ज़िन्दा दफ़्न कर दिया करते थे। छोटे-छोटे क़बीलों में बंटे लोग मामूली-मामूली बातों को प्रतिष्ठा का विषय बनाकर परस्पर लड़ाई-झगड़ा करते थे, जिसमें हज़ारों लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लोग शराब और जुए के आदी थे। उनमें आपसी भाईचारा और प्यार व मुहब्बत का भावनात्मक रिश्ता समाप्त हो चुका था। इन तमाम अख़्लाक़ी और किरदारी बुराइयों के ख़िलाफ़ हज़रत मुहम्मद साहब ने पहल की और इन्सानों को ज़िन्दगी को बेहतरीन तरीक़े से जीने का रास्ता सुझाया।

पैदाइश से पहले हज़रत मुहम्मद साहब के वालिद का इन्तिक़ाल हो गया और 6 साल की मासूम उम्र में उनके सिर से मां के आंचल का शीतल साया भी उठ गया। इस स्थिति में उनकी परवरिश उनके चाचा हज़रत अबू-तालिब ने की। उनका संपूर्ण जीवन इन्सानियत की ख़िदमत में व्यतीत हुआ। बाल्यावस्था में उन्होंने अपने चाचा की सहायता के लिए बकरियां चरायीं क्योंकि उनके चाचा की माली हालत बेहतर और इत्मीनानबख़्श न थी। चाचा के लिए उन्होंने तिजारत भी की। बड़े होकर उन्होंने अरब की बिगड़ती और बदतर होती सामाजिक अवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका निभायी। उन्होंने अपने से 15 साल बड़ी विधवा हज़रत ख़दीजा से विवाह कर लिया और समाज के सम्मुख एक मिसाल क़ायम की, क्योंकि उस दौर में यह बड़ी प्रगतिशीलता की बात थी और उन दिनों समाज में विधवाओं की कोई क़द्र तथा इज़्ज़त नहीं थी।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के इस कार्य से समाज में यह संदेश गया कि विधवाओं को भी पूरा सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने समाज में महिलाओं के साथ होने वाले ज़ुल्मो-सितम को रोका तथा उनकी कोशिशों से महिलाओं को समाज में इज़्ज़त की ज़िन्दगी मिली और उन्हें ससम्मान जीवन-यापन का अधिकार मिला।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने लोगों को इन्सानियत का पाठ पढ़ाया। एक प्रसंग है। जब वे एक घर के सामने से गुज़रते, एक महिला उन पर कूड़ा फेंक दिया करती थी। कई रोज़ तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब उन पर कूड़ा नहीं पड़ा तो उन्होंने लोगों से महिला के बारे में पूछा। पता चला कि वह बीमार है। वे उसका हालचाल पूछने के लिए उसके घर चले गये। उनके इस व्यवहार तथा सद्भावना से महिला बहुत लज्जित हुई। उसने पैग़म्बर से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमायाचना की।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की इन्सानियत से मुताल्लिक़ अनेक उदाहरण तथा क़िस्से हैं। मुहम्मद (सल्ल.) के इसी मानवीय व्यवहार एवं भावनाओं की वजह से उन्हें रहमतुललिल आलमीन यानी संपूर्ण जगत पर कृपा दृष्टि करने वाला कहा जाता है। लोग उन्हें सादिक़ यानी सत्यवादी कहते हैं। लोग अपनी दौलत उनके पास सुरक्षित रखते थे। इसलिए उन्हें अमीन भी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवनकाल में एक ही हज किया जिसे हज्जतुल विदा के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा–

'जब तुम रब से मिलोगे तो वह तुम से तुम्हारे कर्म के बारे में पूछेगा। ...तक़वा (ईश-परायणता) का पालन करने पर व्यक्ति को बुलन्दी मिलती है। ...मेरे बाद गुमराह मत होना कि एक-दूसरे का गला काटने लगो।' उन्होंने कहा, अपनी पत्नी का पूरा ख़याल रखना। उसे उसका हक़ देना। उस पर ज़्यादती मत करना। अच्छा खाना और पोशाक पाना उसका हक़ है।' उन्होंने ग़ुलामों पर भी ज़ुल्मो-ज़्यादती न करने का संदेश दिया। वे संपूर्ण मानवता के सच्चे पथ-प्रदर्शक हैं। ■■

"अल्लाह ही रात और दिन का उलट-फेर करता है। निश्चय ही आंखें रखने वालों के लिए इसमें एक शिक्षा है।"

(क़ुरआन, 24:44)

with best compliment from

Tahira Sahiba
Kota, Rajasthan

विशेष आयोजन

चरित नायक : हज़रत मुहम्मद (सल्ल.)

❖मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

ईश्वर के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के कामों की चर्चा से पहले हम जगत और जीवन पर विहंगम दृष्टि डाल लें। विज्ञान यह बताने की कोशिश करता है कि यह जगत कैसे चल रहा है और इसमें कौन-से प्राकृतिक नियम काम कर रहे हैं। विज्ञान बताता है कि हम धरती की चीज़ों को किस प्रकार उपयोगी बना सकते हैं और आदमी अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार ठीक रख सकता है।

रोगों का उपचार कैसे किया जा सकता है। वायुमंडल को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए कैसे अस्त्र-शस्त्र का अन्वेषण किया जा सकता है। सुदूर के लोगों तक शीघ्र से शीघ्र सूचनाएं कैसे भेजी जा सकती हैं। दूरगामी स्थानों तक कैसे जल्द-से-जल्द पहुंच सकते हैं ? इन समस्याओं को हल करने के लिए उसने टेलीग्राफ़, फैक्स, इंटरनेट का अन्वेषण किया। वायुयान बनाए, तरह-तरह के हथियार, यहां तक कि एटम बम और हाईड्रोजन बम तक उसने बना लिए।

इस सबके बावजूद इन प्रश्नों के उत्तर देने में वह असफल है कि इस जीवन और जगत का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम इस धरती पर किस लिए पैदा होते हैं? इस जीवन-यात्रा की मंज़िल क्या है? क्या मानव की नियती मात्र मृत्यु है? जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, जिसके पा लेने के प्रयास को परम कर्तव्य कहा जा सके? मानव जीवन और जगत को मनुष्य किस दृष्टि से देखे? क्या भौतिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त कोई दृष्टिकोण और भी संभव है?

इन प्रश्नों के उत्तर देने में विज्ञान असफल दिखायी देता है। ये मौलिक प्रश्न विज्ञान की परिधि के बाहर समझे जाते हैं। इन मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाने की आशा जिससे की जा सकती है वह धर्म है। लेकिन हम देखते हैं कि धर्म आज इन मौलिक प्रश्नों को हल करने के बजाय दूसरी चीज़ों में उलझकर रह गया है। सूत्र को सुलझाने के बजाय उसे और अधिक उलझा दिया है। धर्म सिर्फ़ एक होना चाहिए था, वह भिन्न धर्मों और संप्रदायों में विभक्त होकर रह गया है। हालांकि कई धर्मों का होना स्वयं अधर्म है। मौलिक प्रश्नों के कई उत्तर नहीं हो सकते। सही उत्तर तो एक ही होगा और वह मानव की प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा, वह न्याय और सत्य पर आधारित होगा। वह उत्तर ऐसा होगा जो सबके लिए स्वीकार्य को सके। मानव-प्रकृति मूलतः एक है, मानवता के प्रश्न समान हैं। फिर उनके उत्तर अनेक कैसे हो सकते हैं?

ईश्वर ने हमारे लिए जीवन की समस्त सामग्री जुटाई है। धरती में मानव रह सके इसके लिए कितनी व्यापक व्यवस्था की गयी है : धरती ग़ल्ला उगाती है, वर्षा से खेतों की सिंचाई होती है। सूर्य से हमें रात के बाद दिन ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी गर्मी से हमारी फ़स्लें तैयार होती हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति हमें धरती में थामे रखती है। धरती की गतिशीलता से रात-दिन बनते हैं। रातें हमारे विश्राम के लिए और दिन काम के लिए होता है। इस प्रकार हम जगत में ऐसी व्यापक व्यवस्था पाते हैं जिसके कारण धरती पर जीना संभव होता है।

प्रश्न यह है कि जिस ईश्वर ने हमें जीवित रहने के लिए इतना सुनियोजित और सुव्यवस्थित प्रबंध किया है, क्या वह हमें यह बताए बिना छोड़ देगा कि उसने हमें यह जीवन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदान किया है? हमें इस जीवन में किस भूमिका का निर्वाह करना है? हमारे जीवन की संभावनाएं क्या हैं? जीवित रहने से अधिक महत्व जीवन-लक्ष्य का होता है। आख़िर ईश्वर इस संबंध में हमारे मार्गदर्शन की व्यवस्था क्यों नहीं करेगा ?

ईश्वरीय मार्गदर्शन

धरती पर मनुष्य एक बहुत बड़ी और रहस्यमय घटना है। जब ऐसी घटना संभव हो सकी तो फिर यह असंभव कैसे हो सकता है कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन भी करता चला आ रहा है। मनुष्य के मार्गदर्शन ही के लिए आरंभकाल से ईश्वर अपने संदेशवाहक भेजता रहा है जिनको हम नबी, पैग़म्बर या रसूल के नाम से जानते हैं। दुनिया में अनगिनत पैग़म्बर आये और उन्होंने अपने-अपने समय में मनुष्यों का मार्गदर्शन किया। पैग़म्बरों के द्वारा यह मार्गदर्शन चेतना के स्तर पर किया गया। इसके लिए ईश्वर ने वाणी अवतरित की और अपनी किताबें उतारीं। ईश्वर ने अपना संदेश मानवों ही की भाषा में मानवों तक पहुंचाया।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पहले की दुनिया

पैग़म्बरों में सबसे अंत में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का पदार्पण हुआ। आपका पदार्पण ऐसे युग में हुआ जब धर्म एक पहेली बनकर रह गया था और नाना प्रकार की विकृतियां थीं जो धर्म के नाम से प्रचलित थीं। धर्म का अपना वास्तविक स्वरूप नष्ट हो चुका था। परस्पर विरोधी बातों के अतिरिक्त धर्म मात्र एक खेल-तमाशे की चीज़ बनकर रह गया था। तरह-तरह की कुरीतियों ने जन्म ले लिया था। कुछ ने तो ईश्वर के अस्तित्व और आत्मा ही का इन्कार कर दिया था। कुछ की दृष्टि में धार्मिक एवं आध्यात्मिक उच्चता का अधिकार केवल उच्च कुल में जन्मे लोगों को प्राप्त था।

कुछ लोग एकेश्वर के स्थान पर त्रिवाद में पड़ गये थे और पूजा और उपासना एक ईश्वर के अतिरिक्त अगणित देवी-देवताओं की होने लगी थी। बहुदेववाद ने अपनी जड़ें मज़बूत बना ली थीं। ईश्वर के अधिकार और उसके हक़ क्या होते हैं और इस सिलसिले में हमारा नैतिक कर्तव्य क्या होता है इसे विस्मृत कर दिया गया था। मानव-मानव के मध्य भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी गयी थीं। स्त्रियों के साथ न्याय और सद्व्यवहार हो इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी, बल्कि स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा ही नहीं जाता था। धर्म में पुरोहितवाद ने जन्म ले लिया था और एक वर्ग-विशेष धर्म का ठेकेदार बन गया था और यह धारणा बना ली गयी थी कि पुरोहित के माध्यम के बिना ईश्वर को पाना संभव नहीं।

मुक्ति की धारणा भी स्पष्ट न थी। मानवों में एक समुदाय यह समझने लगा था कि मुक्ति और नजात केवल उसी के लिए है। धर्म अपनी सहजता और पवित्रता खो चुका था। धर्म में धर्म का वास्तविक भाव अर्थात धार्मिकता शेष नहीं रह गयी थी। बस कुछ भली-बुरी रीतियां थीं जिनके पालन का नाम धर्म रख लिया गया था। धार्मिक पेशवा सबसे बढ़कर अधर्म के कार्य में रत थे। दान के अधिकारी वही समझे जाते थे।

पारलौकिक जीवन के विषय में नाना प्रकार की धारणाएं प्रचलित थीं जिनके उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। धर्म ने पूर्ण रूप से ऐच्छिकवाद, स्वार्थपरता और भौतिकता का रूप धारण कर रखा था। न उसमें सहज तर्क और विवेक की गुंजाइश थी और न उसमें सच्ची आध्यात्मिकता ही शेष रह गयी थी। धर्म-मार्ग को जटिल से जटिल बना दिया गया था। शुष्कता ने पूर्ण रूप से धर्म को नितांत नीरस बनाकर रख दिया था। मन के कोमल और मधुर भाव खो गये थे। ईश-समर्पण और भक्ति के शब्द केवल किताबों के पन्नों में पाये जाते थे। व्यवहार से उनका संबंध शेष न था।

धर्मगुरु और महान संत भी धर्म की वास्तविकता से नितांत अनभिज्ञ थे। इससे इन्कार नहीं कि कुछ लोग धर्म के पारिभाषिक शब्दों के ज्ञाता अवश्य थे, किन्तु उन्हें धर्म की वास्तविकता का कुछ भी पता न था। जैसे अंधे को प्रकाश शब्द का ज्ञान तो हो किन्तु प्रकाश का उसे कभी अनुभव न हुआ हो। फिर कोई भी धर्म प्रामाणिक स्थिति में नहीं पाया जाता था। धर्मों में अनुचित मिश्रण और प्रक्षिप्त अंशों की भरमार थी, जिसमें सत्य गुम होकर रह गया था। ऐसा था वह अंधकारमय वातावरण जिसमें ईश्वर ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अपना पैग़म्बर बनाकर भेजा, और आपकी ज़िम्मेदारी यह ठहराई कि आप केवल किसी जाति विशेष का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवजाति का मार्गदर्शन करें। उन्हें बताएं कि जीवन का अस्ल उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? ईश्वर का उनके लिए क्या संदेश है? वे अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं? ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है?

व्यक्तित्व एवं कृतित्व की एक झलक

पैग़म्बरी के दायित्व के निर्वाह में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग आपके शत्रु हो गये। आप (सल्ल०) पर ईमान लाने वालों को भी सताया गया। यहां तक कि आप (सल्ल०) को मक्का, जो आपका जन्म स्थान था, छोड़कर मदीना में शरण लेनी पड़ी, किन्तु आप अपने कर्तव्य के पालन में निरंतर लगे रहे। इसमें संदेह नहीं कि आपको ईश्वर की ओर से महानता प्राप्त थी। आपका हृदय अत्यंत विशाल था। आप निर्मल और कोमल स्वभाव के थे। करुणा से आपका हृदय भरा हुआ था। ईश्वर आपका सहायक था। आपने जो महान कार्य किया, वह किसी आश्चर्य से कम नहीं।

किसी की महानता और उच्चता का अनुमान दो चीज़ों से किया जा सकता है; उनमें से एक है दानशीलता। आप (सल्ल०) कहते हैं कि यदि उहुद पर्वत मेरे लिए सोना हो जाए तो भी मैं कभी यह पसंद नहीं करूंगा कि तीन दिन गुज़र जाएं और एक दीनार (के बराबर क़ीमत का सोना) भी मेरे पास रहे, सिवाय उस दीनार के जिसे ऋण चुकाने के लिए मैं छोड़ दूं।

संसार के प्रस्थान करने के समय की बात है कि घर में सोने का एक टुकड़ा था, आप (सल्ल०) ने कहा, "उसको सदक़ा (दान) कर दो।" होश आता तो पूछते, "सदक़ा (दान) किया कि नहीं? मैं नहीं चाहता कि ईश्वर से इस दशा में मिलूं कि मेरे घर में दुनिया पड़ी हो।"

आपकी सादगी का हाल यह था कि आपके पास एक

ही जोड़ा कपड़ा था, और जिन कपड़ों में आपकी मृत्यु हुई उनमें ऊपर तले पैवन्द लगे हुए थे। घर में एक साधारण-सी चारपाई, चमड़े का मशक़ीज़ा (छोटा मशक) और थोड़े से जौ के सिवा और कुछ न था। हालांकि उस समय 10 लाख वर्ग मील पर आपको शासनाधिकार प्राप्त था और यमन से सीरिया तक फैले इस्लामी राज्य के आप शासक थे।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपनी पत्नियों के लिए जो कमरे बनवाए थे, वे कच्चे थे और ऊंचे इतने कि खड़ा होकर आदमी छत को छू सकता था। आगे चलकर उमवी वंश के ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक ने जब चाहा कि आपकी मस्जिद का विस्तार करे तो इसके लिए इन कमरों का गिराना ज़रूरी था तो मदीनावासी रो पड़े। वे चाहते थे कि इन्हें बाक़ी रखा जाए; ताकि लोग देख सकें कि 10 लाख वर्ग मील के अधिक्षेत्र का शासक कैसा सादा जीवन गुज़ार गया। आपने कहा भी था कि, "मैं तो बांटने वाला हूं, देता अल्लाह है।"

दूसरी चीज़ जिससे किसी की महानता का अनुमान किया जा सकता है, वह है क्षमाशीलता का गुण। इस गुण से भी ईश्वर ने आपको पूर्णतः संपन्न किया था। ताइफ़ के लोगों ने आपका निरादर किया, आप (सल्ल०) पर पत्थर फेंके, आप (सल्ल०) रक्तरंजित हो गये और ख़ून से आपके जूते भर गये, किन्तु आपने ताइफ़ के निवासियों के लिए प्रार्थना की तो यह कि, "ऐ अल्लाह। इन्हें क्षमा कर दे, ये नादान हैं।"

आपकी क्षमाशीलता का प्रदर्शन विशेष रूप से उस समय भी देखने को मिलता है जब मक्का पर आप (सल्ल०) को विजय प्राप्त होती है। आपने मक्का वालों को क्षमा कर दिया और कहा कि जाओ, तुम स्वतंत्र हो। हालांकि ये वे लोग थे जिन्होंने आपको और आपके साथियों को सताने में कोई कमी नहीं की थी। यही लोग थे जिन्होंने आपको क़त्ल कर देने की पूरी तैयारी कर ली थी और आपकी हत्या करने के लिए आपके घर का घिराव कर लिया था। आपने अपनी जान के शत्रुओं को न केवल यह कि क्षमा कर दिया, बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने हज के अवसर पर अरफ़ात के मैदान में जो भाषण दिया था, उसमें आपने कहा था–

"लोगो ! मेरा ख़याल है, मैं और तुम फिर कभी इस सभा में एकत्रित न हो सकेंगे। लोगो तुम्हारे ख़ून, तुम्हारे माल और तुम्हारी प्रतिष्ठाएं एक-दूसरे के लिए ऐसी ही आदरणीय हैं जैसे तुम आज के दिन का और इस नगर का आदर करते हो। लोगो तुम्हें शीघ्र ही अपने प्रभु के समक्ष उपस्थित होना है और वह तुम से तुम्हारे कर्मों के बारे में प्रश्न करेगा। सावधान! मेरे बाद पथ-भ्रष्ट न हो जाना कि एक-दूसरे की गर्दनें काटने लगो।

सुन लो! अज्ञानकाल की हर बात मैं अपने पैरों तले डालता हूं। अज्ञानकाल के ख़ून के झगड़ों को निरस्त करता हूं। पहला ख़ून जो मेरे ख़ानदान का है, इब्ने-रविआ बिन-हारिस का ख़ून है जो बनी साद में दूध पीता था और उसे हुजैल ने क़त्ल कर दिया था, मैं माफ़ करता हूं।

अज्ञानकाल का ब्याज समाप्त कर दिया गया। पहला ब्याज अपने कुटुम्ब का मैं मिटाता हूं। वह अब्बास बिन-अब्दुल मुत्तलिब का ब्याज है, वह सब-का-सब छोड़ दिया गया।

लोगो! अपनी पत्नियों के विषय में ईश्वर का डर रखो। ईश्वर के संरक्षण में तुमने उन्हें अपनी पत्नी बनाया है और ईश्वर के शब्द द्वारा तुमने उनसे शारीरिक संबंध को अपने लिए वैध किया है। तुम्हारा अधिकार स्त्रियों पर इतना है कि वे तुम्हारे बिस्तर पर ग़ैर को न आने दें। किन्तु वे ऐसा करें तो उनको बस ऐसी हलकी मार मार सकते हो जो स्पष्ट न हो। औरतों का हक़ तुम पर यह है कि तुम उन्हें रीति के अनुसार खिलाओ और कपड़े पहनाओ। लोगो! मैं तुममें वह चीज़ छोड़कर जा रहा हूं, जिसे यदि तुम मज़बूती से पकड़े रहोगे तो कदापि पथ-भ्रष्ट न होगे। वह है—अल्लाह की किताब (अर्थात् क़ुरआन)।

ऐ लोगो! न तो मेरे पश्चात कोई पैग़म्बर है और न तुम्हारे पश्चात कोई उम्मत। सुन लो अपने रब की बन्दगी करो । पांचों समय की नमाज़ अदा करते रहो और एक महीने (रमज़ान) के रोज़े रखो। अपने माल की ज़कात स्वेच्छापूर्वक दिया करो और अपने अधिकारियों का आज्ञापालन करो और अपने रब की जन्नत में प्रवेश करो।

लोगो! क़ियामत के दिन तुमसे मेरे विषय में पूछा जाएगा, तो तुम क्या कहोगे ?

लोगों ने कहा, हम इसकी गवाही देते हैं कि आपने ईश्वर के आदेश हम तक पहुंचा दिया है। आपने पैग़म्बरी का हक़ अदा कर दिया और आपने हितैषिता का हक़ पूरा अदा कर दिया। (अर्थात् आपने हमें खरा-खोटा सब कुछ बता दिया ।)

आप (सल्ल०) ने अपनी शहादत की उंगली (तर्जनी उंगली) को उठाया। इसके बाद आप (सल्ल०) आकाश की ओर उंगली को उठाते, फिर लोगों की ओर झुकाते और कहते थे, ऐ अल्लाह! गवाह रहना, ऐ अल्लाह! गवाह रहना, ऐ अल्लाह! गवाह रहना। ऐसा आपने तीन बार किया।

देखो, जो लोग उपस्थित हैं, वे उन लोगों तक जो उपस्थित नहीं हैं, संदेश पहुंचा दें। संभव है कि तुममें से कितने ही सुनने वालों से कतिपय वे लोग इस बात के अधिक संरक्षक सिद्ध हों जिन तक यह संदेश पहुंचाया जाए।" ■■

एक अपील, एक ऐलान और तआरुफ़

आपकी ख़ुसूसी तवज्जह का सब से ज़्यादा मुस्तहिक़

40 साल की ख़िदमात

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना गया



कैफ़ियते-क़ियाम : इदारा का तीन यतीम लड़कियों से 21 दिसम्बर 1986 को एक किराया के खपरैल मकान में क़ियाम अमल में आया था, जो कभी साँप, बिच्छू और चिड़ियों का बसेरा था—बक़ौल अल्लामा इक़बाल (रह.) "इश्क़ ने आबाद कर डाले हैं दश्त-ओ-कोहसार"

हिन्दुस्तान की रियासत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा (ओडीशा) में अपने तर्ज़ की पहली और वाहिद इक़ामती दीनी व असरी उलूम की मशहूर तालीमगाहें (Residential) जो इस्लामी और असरी उलूम का संगम होने की वजह से मशहूर है। • इदारा बुनियाद के दिन से ही सही इस्लामी ख़ुतूत पर यतीम के साथ-साथ ग़रीब और ग़ैर-यतीम तालिबात की तालीमी व तर्बियती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। • यहां की तालिबात को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में पहले और दूसरे साल में बाआसानी दाख़िला मिल जाता है। • शोबा-ए-हिफ़्ज़ की तालिबा को भी हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक (Matric) तक पढ़ाया जाता है। • पांच ज़ुबानों में क़ुरआन और इस्लामियात और बिहार बोर्ड के निसाबे-तालीम के साथ मेयारी तालीम का नज़्म है। • **तालीमी साल** अप्रैल ता मार्च, • इदारा के अहाता (Campus) में ही पर्दे (Purdah) में रहकर नर्सरी (Nursery) से मैट्रिक (Matric) तक की तालीम, होम साइंस, उमोरे-ख़ानादारी, सिलाई-कटाई, मेहंदी व पेंटिंग और कम्प्यूटर की तालीम वग़ैरा दी जाती है। इसके लिए बच्चियों को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता। • **तालीमी मराहिल** • इब्तिदाई • सानवी • आला • फ़ासलाती तालीम • शोबा हिफ़्ज़ व नाज़रा **यतीम तालिबात की तादाद** 75 है। **नोट** यतीम तालिबात का सारा ख़र्च, तआम व क़ियाम व रिहाइश वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त (Free) है किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। **बैरूनी तालिबात की तादाद** अपने ख़र्च पर दारुल अक़ामा (Boarding) में रहकर तालीम हासिल करने वाली और दूसरे गांव से पढ़कर जाने वाली लगभग 100 हैं। **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का सालाना ख़र्च तीस हज़ार रुपये (Rs. 30,000) है। आप भी एक यतीम बच्ची की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेकर सवाब में शरीक हों। **असातिज़ा, मुअल्लिमात और दीगर मुलाज़िमीन की तादाद** 33 है। एक माह की तनख़्वाह एक लाख अस्सी हज़ार रुपये (Rs. 1,80,000) से ज़्यादा है। **सालाना ख़र्च** तक़रीबन पैंतालिस लाख रुपये (Rs. 45,00,000)। **ज़रिया आमदनी** मुस्लिम अवाम के चंदे **अपील** आज के माद्दापरस्ताना (Materialistic) और जदीद दौर में लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज़े-तालीम के साथ रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर ज़रूरत है। • आप इस आसमान छूती महंगाई को देखते हुए और माहे रमज़ानुल मुबारक वग़ैरह के मुबारक मौक़ा पर इदारे की नन्ही-मुन्नी मासूम यतीम बच्चियों को ऊंचा उठाने के लिए अपने • ज़कात • अतियात • सदक़ात से भरपूर माली मदद करें ताकि वे तालीम और हुनर के मैदान में आगे बढ़ सकें और किसी से पीछे न रहें। • बाक़ी तामीरी व तालीमी मन्सूबों को पूरा करने के लिए रक़म की फ़ौरी ज़रूरत है। • इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना भरपूर माली तआवुन का मुंतज़िर है। **याद रखें** यह लड़कियों का इदारा है। यहां चंदा वसूल करने वालों की बहुत कमी है। यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन (उजरत) पर चंदा वसूल नहीं किया करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत (Nazr-e-Enayeth) यू-ट्यूब (You Tube) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ़ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीऑर्डर भेजने का पता

Founder & Hon. G. Secretary, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE,
At. : Kolowna, P.o : Cherki-824237, Distt. : Gaya (Bihar) India

Email : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Mobile : 8969435151, Website : www.gmgo.in

Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE
Bank A/C No.: 300402010007752 (ज़कात/Zakath)
Bank A/C No.: 300402010009846 (डोनेशन/Donation)
Bank IFSC Code No: UBIN0530042
Bank: UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए-मेहरबानी स्कैन एंड पै (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) नाम व पता सहित व्हाट्स एप कर दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

व्हाट्स एप नम्बर 7367909126 बानी व इजाज़ी जनरल सेक्रेट्री इक़बाल अहमद ख़ां—9934480190

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता करें।

जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सदर) समनपूरा, पटना, **मोबाइल : 9934943229**

जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, **मोबाइल : 9631867066**

संसार के लिए दया-निधि

❖देवदास गांधी

एक महान शक्तिशाली सूर्य के समान ईश-दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अरब की मरुभूमि को उस समय रोशन किया, जब मानव संसार घोर अंधकार में लीन था और जब आप इस दुनिया से विदा हुए तो आप अपना सब काम पूर्ण रूप से पूरा कर चुके थे, वह पवित्र काम जिससे दुनिया को स्थायी लाभ पहुंचने वाला था। दुनिया के सच्चे पथ प्रदर्शक बहुत थोड़े हुए हैं और उनके युगों में एक-दूसरे से बहुत अन्तर रहा है और वे लोग कि जिन्होंने मुहम्मद साहब के जीवन-चरित्र का अध्ययन उसी श्रद्धा के साथ किया है, जिसके वे अधिकारी हैं। इस बात के मानने पर बाध्य हैं कि आप महान धर्म उपदेशकों में से एक थे । आपकी महानता और गुरुता में उस समय और भी वृद्धि हो जाती है, जबकि आपका चित्र खींचते वक्त हम उस नितांत आध्यात्मिक और नैतिक हास की पृष्ठभूमि पर भी दृष्टि रखें, जो आपके जन्म के समय अरब में विद्यमान थी ।

आपने सम्पूर्ण जीवन सरलता और सादगी से व्यतीत किया। सांसारिक सुख और जीवन के भोग-विलास उस समय भी आपको अपनी ओर आकर्षित न कर सके, जब एक से अधिक साम्राज्यों का धन आपके चरणों में अर्पित हो रहा था। आपका भोजन बहुत ही सादा और थोड़ा होता था और उसे भी केवल इसलिए खाते थे कि जीवित रह सकें । चटाइयां और टाट आपके विस्तर थे और इसी तरह पहनने के कपड़े भी बहुत साधारण होते थे। आपने कभी किसी को कटु वचन नहीं कहा, यहां तक कि लड़ाई के अवसर पर भी दुश्मनों के साथ आपका स्वर कोमल होता था ।

मुहम्मद साहब एक सभ्य और उन्नतशील वातावरण की पैदावार न थे। आपके समय में एक आदमी भी ऐसा न था, जिससे आप ब्रह्मवाद की शिक्षा ग्रहण करते, उस काल में ईश्वरीय धर्म के लिए तो अरब में जगह ही न थी, वह देश अपने अंधकारमय काल से गुज़र रहा था। जब ख़राबी और पतन अपनी सीमा को पहुंच गया तो उस समय आप ईश्वरीय अनुकम्पा बनकर उदित हुए।

ऐसी दशा में यदि उन्हें 'रहमतुललिल आलमीन' (संसार के लिए दया-निधि) की पदवी दी जाती है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

मुहम्मद (सल्ल.) का संबंध किसी धनी परिवार से न था। आपके माता-पिता धनहीन लोग थे और आपको कोई आध्यात्मिक प्रधानता भी विरासत में न मिली थी। आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जिसे धन की दृष्टि से कोई महत्व प्राप्त न था और आपके जीवन में मेरे लिए जो बात सबसे अधिक मनोहर है वह यही है कि और बहुत से महान व्यक्तियों की तरह आपका आविर्भाव उस वर्ग में हुआ जिसे साधारण वर्ग कहा जाता है। आपने एक मामूली व्यापारी और बकरियां चराने वाले का जीवन व्यतीत किया।

मुहम्मद (सल्ल०) की सबसे पहली विशेषता, जिसने लोगों का दिल मोह लिया, आपकी ईमानदारी थी। आपकी इस विशेषता ने आपको 'अल-अमीन' (धरोहर रक्षक) का ईर्ष्याजनक पद दिलवा दिया था, जिसका अर्थ ईमानदार और सच्चे के हैं। सच्चाई और सत्यता पर आपका ईमान था और आपके जीवन के हर विभाग में इसकी ज्योति नज़र आती है। किसी दशा में भी आप सच्चाई के विरुद्ध कोई बात सहन न कर सकते थे। अच्छे उद्देश्य से भी आप सत्य और न्याय के विपरीत कोई कार्य पसन्द न करते। इसका उज्ज्वल उदाहरण बद्र-युद्ध की इस घटना में देखा जा सकता है। आपके दुश्मन कबीलों ने आपके दो साथियों को पकड़ लिया और यह प्रतिज्ञा लेकर छोड़ दिया कि वे अल्लाह के रसूल के साथ होकर क़ुरैश से युद्ध न करेंगे।

बद्र की लड़ाई में शत्रुओं की संख्या मुसलमानों से बहुत अधिक थी और एक आदमी की कमी या ज़्यादती भी

आपकी जंगी हालत पर असर डाल सकती थी, लेकिन इतनी अधिक आवश्यकता और उन लोगों की नम्र प्रार्थनाओं के बावजूद आपने इसे पसन्द न किया कि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर लड़ाई में आपका साथ दें। सामायिक लाभ प्राप्ति के सिद्धांत की आपकी दृष्टि में कोई महत्व न था। अपने जांनिसार साथियों को उनकी हार्दिक आकांक्षा पूर्ति से वंचित रखने में आपको अवश्य नितांत दुख हुआ होगा। लेकिन सत्य और न्याय के लिए इसे सहन किया गया। हर दशा और हर हालत में एक सैनिक नियम का पालन अनिवार्य था, चाहे उसके कारण हृदय को कितना ही कष्ट पहुंचे, क्योंकि आवश्यक था कि जिस उच्च नैतिक आदर्श की ओर पैग़म्बर अपनी जाति को बुलाना चाहता था, पहले स्वयं उस पर चलकर दिखा देता। सच यह है कि आपने उदाहरण प्रस्तुत करने में तनिक भी संकोच नहीं किया।

आपकी आदर्श जीवनी हमें बताती है कि आपने अपने उपदेश और प्रचार का जीवन भर यही नियम रखा कि जो कुछ अपने अनुयायियों को सिखाना चाहते थे, पहले वह सब कुछ स्वयं करके दिखा दिया और कभी किसी ऐसे कार्य की शिक्षा न दी जिसका उदाहरण आपने उपस्थित न कर दिया हो।

आपके पवित्र जीवन में उस समय भी किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं आया, जबकि आप पैग़म्बर के पद पर शोभायमान हो गये। आपने सम्पूर्ण जीवन उसी सरलता और सादगी से व्यतीत किया। सांसारिक सुख और जीवन के भोग-विलास उस समय भी आपको अपनी ओर आकर्षित न कर सके, जब एक से अधिक साम्राज्यों का धन आपके चरणों में अर्पित हो रहा था। आपका भोजन बहुत ही सादा और थोड़ा होता था और उसे भी केवल इसलिए खाते थे कि जीवित रह सकें। चटाइयां और टाट आपके विस्तर थे और इसी तरह पहनने के कपड़े भी बहुत साधारण होते थे। आपने कभी किसी को कटु वचन नहीं कहा, यहां तक कि लड़ाई के अवसर पर भी दुश्मनों के साथ आपका स्वर कोमल होता था।

सत्य यह है कि आपको अपनी इच्छाओं और मनोभावों पर पूरा-पूरा संयम प्राप्त था। गीता में कर्मयोगी के जो गुण बताए गये हैं, वे सबके सब आप में पूर्णतया मौजूद थे। आप अपने अप्रिय कर्तव्यों को भी सच्चे ईमान और सच्ची वीरता के साथ पूर्ण किया करते थे और इच्छाएं या घमंड कभी आपके पगों में कंपन नहीं डाल सकता था। 'कर्मयोगी' उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने उत्तम विचारों को भी कार्य रूप में परिणित कर दे और मुहम्मद एक ऐसे ही व्यक्ति थे। एक नश्वर मनुष्य होते हुए भी आप अलौकिक गुण रखते थे। सुख-दुख, हर्ष, क्षोभ, जिनके प्रभावों के अन्तर्गत हम साधारण मनुष्यों के जीवन व्यतीत होते हैं और जो वास्तव में हमारे जीवन में क्रान्ति उत्पन्न कर देते हैं, उनसे यह पवित्रता और महान आत्मा कभी प्रभावित न होती थी।

आपका जीवन गीता की इस प्रशंसा का बिल्कुल ठीक नमूना था, जो पैग़म्बरों और अवतारों की इसमें की गयी हैं: "वह उस स्थान पर पहुंच जाता है, जहां समस्त इच्छाएं इस प्रकार उसकी ओर बहती हैं, जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, जो यद्यपि जल से पूर्ण होता है, किन्तु ये नदियां उसमें जरा-सा भी प्रकंपन नहीं उत्पन्न कर सकतीं। वह ऐसा नहीं होता कि इच्छाओं से प्रभावित होकर इच्छा करने लगे, उसके समस्त कार्य लोभ और नाम के सांचे से स्वतंत्र होते हैं और उसके कार्यों को ज्ञान की ज्वाला तपाकर कुंदन बना देती है।" (गीता)

जो लोग समाज की वर्तमान व्यवस्था और प्रणाली को परिवर्तित करने में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि इससे अच्छे समाज को जन्म दें, उनके दिलों पर जिस बात का गहरा प्रभाव



पड़ेगा वह पैग़म्बर साहब का वह उच्च आदर्श है जिसे उन्होंने मेहनत-मज़दूरी के संबंध में क़ायम किया। इस ईशदूत ने ऐसे बहुत से अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किये हैं, जिन्हें लोगों ने भुला दिया है। उनमें से एक यह है कि आप अपने कपड़ों की स्वयं मरम्मत करते थे। यही नहीं, बल्कि अपने जूते भी ख़ुद ही टांकते थे। आप घर के काम-काज में प्रायः अपने सेवकों की सहायता करते थे। मस्जिद के निर्माण में आपने मज़दूरों के साथ बराबर काम किया है। मज़दूरों के साथ काम करते समय आप उसमें इस प्रकार घुल-मिल जाते थे कि कोई उन्हें पहचान न सकता था।

बच्चों से आपको विशेष लगाव था और उनके साथ आप बहुत प्रसन्न रहते थे। वे सौभाग्यशाली बच्चे जो आपके जीवन काल में थे और जिन्हें आपका प्रेम प्राप्त रहा अपने घरों में इतने प्रसन्न नहीं रहते थे जितना आपके साथ। बच्चों के साहचर्य में उठना-बैठना आपके लिए कोई इत्तिफ़ाक़ी बात न थी, बल्कि यह आपका नियम और कार्यक्रम था कि बच्चों को ढूंढ कर उनके साथ हो जाते और अपने उत्तम विचार उनके मस्तिष्कों में अर्पित कर देते। क्या शिक्षा और उपदेश का इससे अधिक स्वाभाविक और सरल ढंग कोई और हो सकता है।

पैग़म्बर साहब के जीवन का महत्वपूर्ण विषय आपकी दयालुता और क्षमा-भाव था, जो उन लोगों के लिए भी आम था जिन्होंने आपको यातनाएं दीं, कष्ट पहुंचाएं, विभिन्न प्रकार के दंड दिये, यहां तक कि आपको क़त्ल कर देने के ऐसे-ऐसे तरीक़े अपनाये जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने उन समस्त विरोधों को शान्ति के साथ सहन किया। आपका सदा यह विश्वास रहा कि इस प्रकार कष्ट सहन करके आप उस महान उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, जो आपके सुपुर्द किया गया था। यह ख़याल कि आपकी यह सहनशीलता और शान्ति-धारण, साहस और वीरता की कमी के कारण था। इसलिए तुच्छ और अस्वीकार्य मालूम होता है कि एक से अधिक अवसरों पर नियमित युद्धों में, जिनके लड़ने पर आपको बाध्य किया गया, आपने असीम साहस और वीरता का परिचय दिया है।

जीवन के हर ऐसे अवसर पर जब मामूली इन्सान अपनी कमज़ोरी, ज़ाहिर कर देता है, आप अलौकिक साहस के साथ उठे और पथभ्रष्ट अरबों को कल्याण मार्ग दिखाया।

यह सच है कि आप एक इन्सान थे। मुसलमान आपको इन्सान ही समझते हैं, ख़ुदा नहीं, बल्कि मानव जाति का एक व्यक्ति समझते हैं। वस्तुतः आप इन्सान ही थे। लेकिन हमें यह ज़रूर समझ लेना चाहिए कि आप एक ऐसे इन्सान थे जैसा कि वास्तव में एक इन्सान को होना चाहिए या जैसा कि ईश्वर ने हमें बनाना पसन्द किया था, न कि एक ऐसा इन्सान जैसा कि हम सब हैं। तेरह सौ वर्ष पूर्व के इस महामानव के चरणों पर आज भी संसार के विभिन्न भागों में करोड़ों मनुष्य श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मानवता का यह पूर्णतम आदर्श एक प्रकाशमान सूर्य की भांति इस लोक में आया था और अपने करोड़ों प्रेमियों के हृदयों में सूर्य हो के समान सदा प्रकाशमान रहेगा। ■■

(मासिक 'पेशवा' दिल्ली जुलाई, 1931)

(लेखक दैनिक 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के संपादक रहे हैं)

नअ्त

• ज़हीर ललितपुरी •

ज़हनो दिल रौशनी से मुनव्वर हुए
नूरे हक़ आ गया ज़ुल्मतें मिट गयीं
जब मुहम्मद की दुनिया में आमद हुई
कितने पाकीज़ा शामो सहर बन गए

कलमा-ए-हक़ पढ़ा तो ख़ुदा मिल गया
पाक क़ुरआन की उनको दौलत मिली
जिस घड़ी आपके हमसफ़र बन गए
मोम जैसे मुलायम उमर बन गए

ऐ मुहम्मद तुम्हारा असर ये हुआ
आज भटका हुआ राहे हक़ पा गया
इस जहां के लिए उस जहां के लिए
नात के लफ़्ज़ जादे-सफ़र बन गए

आज़माने को आये थे जो आपको
देखते रह गए आपका मोज़ज़ा
कंकरों ने पढ़ा कलमा-ए-तय्यबा
एक ही पल में वो मोतबर बन गए

क्या है अच्छा बुरा क्या सही क्या ग़लत
मुस्तफ़ा ने हमें ये भी सिखला दिया
मार्फ़त जब नबी की हमें मिल गयी
ऐ ज़हीर हम भी अहले नज़र बन गए

"आसानी पैदा करो,
कठिनाई पैदा मत करो;
ख़ुशख़बरी दो,
घृणा पैदा मत करो।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

with best compliment from

Zillur Rahman
Shahjahanpur (U.P.)

अर्थजगत के महान सुधारक : पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.)

❖डॉ. फ़रहत हुसैन

प्रोफ़ेसर एडम स्मिथ ने जब 18वीं शताब्दी में 'आर्थिक मानव' (Economic Man) की कल्पना की थी तो उस समय उन्हें कटु आलोचना का सामना करना पड़ा था। मगर आज पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा बुने गए जाल में आम आदमी को जकड़ कर उसे वास्तव में आर्थिक मानव ही बना दिया गया है। ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए धन तथा भौतिक संसाधनों के महत्व से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता, परंतु यदि धन ही सब कुछ होता तो खाते-पीते लोग आत्महत्या न करते। मनुष्य का भौतिक पक्ष महत्वपूर्ण है, परंतु नैतिक तथा आध्यात्मिक पक्ष और भी ज़्यादा मूल्यवान है। आधुनिक युग की त्रासदी यह है कि हर समय मनुष्य के आर्थिक कल्याण व ख़ुशहाली का राग अलापने वालों ने ही आम आदमी के हाथ से रोटी छीनी है।

आर्थिक समस्याओं के समाधान में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने आर्थिक क्रियाकलापों को भी उसी जीवन दर्शन से जोड़ा जिसकी बुनियाद ईशभय और परलोक की जवाबदेही पर है। नैतिकता और ईमानदारी को केवल 'नीति' नहीं बनाया बल्कि 'आस्था' का दर्जा दिया। उन्होंने न्याय, ईमानदारी और वादों को पूरा करने की शिक्षा दी। अर्थव्यवस्था का जो मॉडल उनके द्वारा लागू किया गया उसमें न तो पूंजीवाद की स्वच्छंदता है और न साम्यवाद का कठोर नियंत्रण। जनहित में कुछ प्रतिबंधों के बाद पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है।

इसमें संदेह नहीं कि इंसान ने अभूतपूर्व उन्नति की है। गगनचुंबी इमारतें, बड़े-बड़े कारख़ाने, यातायात के तेज़ साधन, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं आदि सब भौतिक उन्नति के उदाहरण हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बढ़ा है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, मगर कुल मिलाकर इंसान की आर्थिक कठिनाइयां कम नहीं हुई हैं। आर्थिक विकास का लाभ कुछ गिने-चुने लोगों को ही पहुंचा है। आम आदमी को इस तरक़्क़ी का उचित लाभ नहीं मिला, उल्टा वह शेयर मार्केट के भंवर में फंसा चक्कर खा रहा है—प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से। ग़रीबी, दरिद्रता, भुखमरी, बेरोज़गारी से इंसान को मुक्ति नहीं मिली। धन के असमान वितरण के कारण घोर आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं, ग़रीब और अमीर के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। आर्थिक उलझनों के चलते मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, नतीजतन आत्महत्याओं, नशाख़ोरी तथा अपराधों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

आर्थिक समस्याएं केवल ग़रीब देशों का ही मुक़द्दर नहीं हैं, अमेरिका जैसे विकसित देश भी ग़रीबी और बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। अपने नागरिकों के कल्याण तथा आर्थिक संपन्नता का लक्ष्य रखने के बावजूद कोई भी देश इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका, जबकि यह लक्ष्य भी मात्र भौतिक है, इसका आध्यात्म अथवा नैतिकता से कुछ भी लेना-देना नहीं है।

आधुनिक अर्थशास्त्र की बड़ी ख़राबियां

आधुनिक अर्थशास्त्र की तीन चीज़ों ने मानवता

को हानि पहुंचाई—एक, आर्थिक क्रियाकलापों तथा गतिविधियों से नैतिकता को बाहर करना, दूसरे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को बढ़ाने पर अत्यधिक बल देना और तीसरे ब्याज के लेन-देन को अपरिहार्य बना देना।

आर्थिक गतिविधियों को नैतिकता के बंधन से आज़ाद करने का अर्थ होगा, बेलगाम मनचले घोड़े की सवारी। मानव मूल्य (Human Values) आदमी का जौहर उसकी आत्मा हैं। इंसान और जानवर के बीच यही चीज़ अंतर करती है। यह अजीब दोहरा मानदंड है कि समाज में हम नैतिकता, ईमानदारी तथा उच्च आदर्श की बात करें परंतु आर्थिक क्षेत्र से इन्हें बाहर कर दें। मानवीय व्यवहार सामाजिक मान्यताओं एवं मूल्यों से नियंत्रित होता है। आर्थिक क्रियाओं को इससे अलग करके अध्ययन करना उचित नहीं है। दुर्भाग्यवश, आधुनिक अर्थशास्त्र ने नैतिक मूल्यों की प्रति 'उदासीन' (neutral) रहने का सिद्धांत अपनाया जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में स्वार्थपरता, शोषण तथा अन्याय को बढ़ावा मिला। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों को भी अब नैतिक मूल्यों के महत्व का आभास होने लगा है। यह अलग बात है कि परलोक की अवधारणा के अभाव में ईमानदारी (Honesty) मात्र एक नीति (Policy) बनकर रह गई है।

आम आदमी के जीवन में नई-नई चीज़ें उसकी आवश्यकता की सूची में अस्वाभाविक रूप से बढ़ाना और उनके उत्पादन और विक्रय से धन बटोरना अर्थात 'उपभोक्तावाद' (consumerism) को बढ़ावा देना यह भी पाश्चात्य संस्कृति की देन है। मूलभूत आवश्यकताओं—रोटी, कपड़ा, आवास, इलाज, शिक्षा—की पूर्ति की किसी को चिंता नहीं, हां विलासिता (Luxury) की सामग्री के उत्पादन एवं विपणन में हर व्यावसायी रुचि रखता है। यही कारण है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद विश्व की एक तिहाई से अधिक आबादी ग़रीबी से जूझ रही है। संसाधन हैं परंतु उनका उचित प्रयोग एवं दोहन नहीं हुआ और जो कुछ उत्पादन हुआ उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। उद्योगपतियों का पूरा ज़ोर अमीरज़ादों की पसंद का ख़याल रखना है। महंगे आवासीय प्रोजेक्टों की भरमार है, जबकि करोड़ों लोगों का ठिकाना फुटपाथ या फिर झोपड़पट्टी है। जो कारीगर और मज़दूर इन आलीशान इमारतों को बनाते हैं उन्हें छत नसीब नहीं। पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ति की समस्या विकट है जबकि शराब की कोई कमी नहीं, हां बोतल बंद पानी ख़ूब उपलब्ध है, क्योंकि इसमें अच्छा मुनाफ़ा है। किसान आत्महत्या को विवश हैं, उनकी उपज को स्टॉक करने वाले व्यापारी तथा उनके द्वारा उत्पादित गन्ने से चीनी कम और अल्कोहल ज़्यादा बनाने वाले उद्योगपति मालामाल हैं। उदाहरण अनगिनत हैं, वास्तविकता यह है कि गिने-चुने सरमायादारों को छोड़कर शेष जनता गंभीर रूप से आर्थिक समस्याओं की चपेट में है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं को भी जानें

ऐसे में आर्थिक समस्याओं से जूझती, पिसती और कराहती इंसानियत किसी 'मसीहा' की तलाश में है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि इसी तरह का शोषण, यही महाजनी रंग- ढंग, यही भुखमरी, दरिद्रता, संपन्नता और असंपन्नता के घोर अंतर का विकराल रूप पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के सामने भी था। उन्होंने पवित्र क़ुरआन की शिक्षाओं तथा अपनी असाधारण सूझ-बूझ के द्वारा 23 वर्ष की छोटी-सी अवधि में सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार करते हुए आर्थिक समस्याओं का भी संतुलित, व्यावहारिक तथा पूर्ण समाधान बड़ी सुंदरता से कर दिखाया। यही कारण है कि एक प्रतिष्ठित लेखक और विद्वान माइकल एच. हार्ट (Michael H. Hart) जब निष्पक्ष होकर ग़ौर करता है तो ईसाई धर्म का अनुयायी होने के बावजूद अपनी पुस्तक 'The Hundred' में दुनिया की सौ प्रभावशाली हस्तियों में पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को पहले नंबर पर रखता है और पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है कि–

"इतिहास में वे (पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल.) एकमात्र ऐसे व्यक्ति (दिखाई पड़ते हैं) जो धार्मिक और सांसारिक दोनों

कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें !

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

स्तरों पर सबसे अधिक सफल रहे।"

आर्थिक समस्याओं के समाधान में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने आर्थिक क्रियाकलापों को भी उसी जीवन दर्शन से जोड़ा जिसकी बुनियाद ईशभय और परलोक की जवाबदेही पर है। नैतिकता और ईमानदारी को केवल 'नीति' नहीं बनाया बल्कि 'आस्था' का दर्जा दिया। उन्होंने न्याय, ईमानदारी और वादों को पूरा करने की शिक्षा दी। अर्थव्यवस्था का जो मॉडल उनके द्वारा लागू किया गया उसमें न तो पूंजीवाद की स्वच्छंदता है और न साम्यवाद का कठोर नियंत्रण। जनहित में कुछ प्रतिबंधों के बाद पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। आप ख़ूब कमाएं मगर शराब, जुआ, लॉटरी, व्यभिचार के धंधे, ब्याज, ब्लैक मार्केटिंग, रिश्वत आदि से नहीं कमा सकते क्योंकि इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से भले ही अच्छी कमाई हो जाए मगर पूरा समाज दूषित होकर रहेगा। कमाए हुए धन को व्यय करने के लिए आप स्वतंत्र हैं मगर फ़ुज़ूलख़र्ची सहन नहीं, क्योंकि उस धनराशि से कई घरों के चूल्हे जल सकते हैं। कंजूसी तथा धन और संसाधनों को एकत्रित करके रखने की भी अनुमति नहीं, धन का प्रवाह सामान्य रूप से बाज़ार में रहना चाहिए। एक सीमा के बाद आपको अपनी बचत की जमा में से कम से कम ढाई प्रतिशत 'ज़कात' ग़रीबों को देनी ही होगी। आप अपनी पूंजी से स्वयं कारोबार कर सकते हैं अथवा लाभ-हानि की क़रार पर साझेदारी कर सकते हैं, परंतु पूर्व निश्चित दर तय करके ब्याज नहीं ले सकते। जब दुनिया में किसी भी चीज़ की ठीक-ठीक भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव नहीं है तो पूंजीपति के ब्याज की दर पहले से निर्धारित करने का क्या औचित्य है? और फिर हानि की जोखिम (Risk) कौन वहन करेगा? वास्तव में ब्याज शोषण और अन्याय की जड़ है तथा समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है, इसीलिए इसको प्रतिबंधित किया गया। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के अनुसार रोज़ी कमाने की व्यस्तता भी ईशभक्ति है, मगर हर समय 99 के फेर में पड़ने और धन का लोभी होने से रोका गया है।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने श्रम को उचित सम्मान दिया, मेहनतकश की सराहना की, मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी का भुगतान करने के आदेश दिए। संतुलित जीवनशैली की शिक्षा दी जिसमें हलाल रोज़ी हो, व्यय में न कंजूसी हो न अपव्यय हो और न संसाधनों की बर्बादी हो। अपने पड़ोसी की ज़रूरत का पूरा ख़याल रखा जाए, यतीम, बेसहारा, विधवा और अन्य ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए। उनके द्वारा सुझाई गई आर्थिक स्कीम में समाज के हाशिए पर जीने वाले व्यक्ति (Marginal Man) की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने की गारंटी दी गई। धन के केंद्रीयकरण को न्यूनतम स्तर पर रखने की व्यवस्था की गई, विरासत के क़ानून के द्वारा मृतक के धन को दूर तक फैला दिया गया। और एक ऐसी जीवन व्यवस्था प्रस्तुत की जिसमें भौतिकता एवं आध्यात्म का सुंदर संयोजन पाया जाता है। इस स्कीम में न तो दुनिया त्यागना और संन्यास है और न ही धन-दौलत को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाने की अनुमति है। धन-दौलत जीवन-यापन के साधन हैं, यही हैसियत उनको देनी चाहिए।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने श्रम को उचित सम्मान दिया, मेहनतकश की सराहना की, मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी का भुगतान करने के आदेश दिए। संतुलित जीवनशैली की शिक्षा दी जिसमें हलाल रोज़ी हो, व्यय में न कंजूसी हो न अपव्यय हो और न संसाधनों की बर्बादी हो।

इस स्कीम में जहां एक ओर लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की गई वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास के लिए नियम बनाए गए। बाज़ार, कृषि, व्यापार, उत्पादन एवं विक्रय संबंधी विस्तृत नियम बनाकर उन्हें लागू किया गया।

निस्संदेह, आज अर्थव्यवस्था, उसके घटक और आर्थिक क्रियाएं बहुत जटिल हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में उस समय के समाधान अक्षरशः प्रासंगिक नहीं हो सकते, परंतु यह भी सत्य है कि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं में ऐसे बुनियादी एवं सार्वभौमिक सिद्धांत मौजूद हैं जिनका अध्ययन करके आज के अर्थशास्त्री तथा विषय विशेषज्ञ वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मुस्लिम अर्थशास्त्रियों ने इस दिशा में अनेक शोध किए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) द्वारा सुझाए गए समाधान आज भी मार्गदर्शन के लिए अत्यंत मूल्यवान एवं प्रासंगिक हैं। ■■

"हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की मानव-कल्याणकारी शिक्षाएं"

सबसे अच्छा इंसान वह है जो लोगों के लिए सबसे अधिक लाभदायक हो। (हदीस, तबरानी)

तुममें सबसे अच्छा वह है जिसका चरित्र सबसे अच्छा है। (हदीस, बुख़ारी)

रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। धरती वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।

(हदीस, तिर्मिज़ी)

अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। (हदीस, बुख़ारी व मुस्लिम)

मुस्कुराना भी सदक़ा है। (हदीस, तिर्मिज़ी)

अच्छी बात कहना भी सदक़ा है। (हदीस, बुख़ारी)

रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटाना भी सदक़ा है।

(हदीस, बुख़ारी व मुस्लिम)

अल्लाह नरमी को पसंद करता है। (हदीस, बुख़ारी)

जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वह अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। (हदीस, अबू दाऊद)

मज़बूत वह नहीं जो कुश्ती में जीत जाए, बल्कि वह है जो ग़ुस्से के समय अपने आप पर क़ाबू रखे।

(हदीस, बुख़ारी व मुस्लिम)

जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है, वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे। (हदीस, बुख़ारी)

सफ़ाई आधा ईमान है। (हदीस, मुस्लिम)

ईमान वाला गाली देने वाला नहीं होता।

(हदीस, तिर्मिज़ी)

झूठ से बचो, क्योंकि झूठ बुराई की ओर ले जाता है।

(हदीस, बुख़ारी व मुस्लिम)

सच्चाई नेकी की ओर ले जाती है।

(हदीस, बुख़ारी व मुस्लिम)

अमानत अदा करो। (सुनन अबू दाऊद)

जो धोखा दे, वह हममें से नहीं। (सहीह मुस्लिम)

मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो।

(हदीस, इब्न माजह)

बीमार की ख़ैर-ख़बर लो। (हदीस, बुख़ारी)

सलाम को आम करो और भूखे को खाना खिलाओ।

(हदीस, बुख़ारी)

आसानी पैदा करो, कठिनाई पैदा मत करो।

(हदीस, बुख़ारी व मुस्लिम)

अल्लाह तुम्हारी शक्ल और दौलत को नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल और कर्मों को देखता है। (हदीस, मुस्लिम)

अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है, जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। (हदीस, मुस्लिम)

जो किसी की एक परेशानी दूर करता है, अल्लाह क़ियामत के दिन उसकी एक बड़ी परेशानी दूर कर देगा।

(हदीस, बुख़ारी)

जो किसी के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आख़िरत में आसानी पैदा कर देता है। (हदीस, मुस्लिम)

तुममें सबसे अच्छे वे हैं जिनसे भलाई की उम्मीद की जाए और जिनकी बुराई से लोग सुरक्षित रहें।

(हदीस, तिर्मिज़ी)

मोमिन, मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है, जिसका हर हिस्सा दूसरे हिस्से को मज़बूत करता है।

(हदीस, बुख़ारी व मुस्लिम)

जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा, वह जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा। (हदीस, मुस्लिम)

जो छोटों पर दया न करे और बड़ों का सम्मान न करे, वह हममें से नहीं। (हदीस, तिर्मिज़ी)

रिश्तों को जोड़ने वाला वह नहीं जो केवल बदले में संबंध निभाए, बल्कि वह है जो संबंध टूटने पर भी उसे जोड़े।

(हदीस, बुख़ारी)

अल्लाह के निकट सबसे प्रिय कर्म वह है जो नियमित रूप से किया जाए, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो।

(हदीस, बुख़ारी व मुस्लिम)

■■

श्रद्धा सुमन

महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)

• क़मर रामनगरी •

दया का सागर बनकर आना सबके बस की बात नहीं।
जग पर रहमत जल बरसाना सबके बस की बात नहीं।।

एकेश्वर की ज्योति जगाना सबके बस की बात नहीं।
कुल धरती कुल जग चमकाना सबके बस की बात नहीं।।

ईश्वर ही एकमात्र पूज्य है वही है सबका पालनहार।
सर्वजगत को यह समझाना सबके बस की बात नहीं।।

रेत उड़ाती शुष्क भूमि को जल से कर देना जल-थल।
वन उपवन में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं।।

सारे झूठे ख़ुदाओं का करना इन्कार दिलेरी से।
एक ख़ुदा को दिल में बसाना सबके बस की बात नहीं।।

सर्वजगत के सारे मानव हैं एक ही परिवार समान।
प्रेम का प्रिय पाठ पढ़ाना सबके बस की बात नहीं।।

अत्याचार के तूफ़ानों में पीड़ा पर पीड़ा सहकर।
धर्म पे जमना और जमाना सबके बस की बात नहीं।।

'सफ़ा' की चोटी से निर्भय हो देना सबको सत् सन्देश।
इल्लल्लाह का नारा लगाना सबके बस की बात नहीं।।

युगों-युगों से देश में फैले जेहल, कुफ़्र व शिर्क मिटाकर।
सत्य धर्म का ध्वज फहराना सबके बस की बात नहीं।।

सारा ज़माना जब हो विरोधी अपनी क़ौम भी दुश्मन हो।
सदुपदेश से बाज़ न आना सबके बस की बात नहीं।।

बद्र, उहद हो ख़ैबर, ख़न्दक़, या हो हुनैन व तबूक।
धर्म-युद्ध में जान लड़ाना सबके बस की बात नहीं।।

दीर्घकाल से आपस में जो लड़ते-झगड़ते रहते थे।
उनको भाई-भाई बनाना सबके बस की बात नहीं।।

शत्रु हो या मित्र कोई हो अपने हों या बेगाने।
कष्ट में काम हर एक के आना सबके बस की बात नहीं।।

पास हो जो कुछ उन सबसे भूख मिटाना भूखों की।
ख़ुद भूखा प्यासा सो जाना सबके बस की बात नहीं।।

प्रेम से प्यार से, सहृदयता ने, सद्व्यवहार से, संयम से।
दुश्मन को भी मित्र बनाना, सबके बस की बात नहीं।।

दीन पे जीना दीन पे मरना दीन निमंत्रण देते रहना।
ईश्वर महिमा के गुण गाना सबके बस की बात नहीं।।

वह नारी जो कब से पड़ी थी महाकष्ट की दलदल में।
उसको उचित सम्मान दिलाना सबके बस की बात नहीं।।

फूलों का तो कहना ही क्या सब प्यारे-प्यारे होते हैं।
कांटों की क़िस्मत चमकाना सबके बस की बात नहीं।।

क़ुरआन पढ़कर आहें भरना लम्बे-लम्बे सजदे करना।
ईश-भय से अश्रु बहाना सबके बस की बात नहीं।।

दीन मार्ग में घर से निकलकर गलियों में, बाज़ारों में।
गाली सुनना पत्थर खाना सबके बस की बात नहीं।।

रक्त का एक क़तरा न बहाना, बनके विजेता मक्का जाना।
क्षमादान से यूं पेश आना सबके बस की बात नहीं।।

जगत महर्षि की कीर्तियों को कविता में दर्शा के 'क़मर'।
श्रद्धा सुमन सुगन्ध लुटाना सबके बस की बात नहीं।।

"जब इन्सान मर जाता है
तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट
जाता है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी
हैं जो इससे अलग हैं—जारी रहने
वाला सदक़ा या ज्ञान जिससे
फ़ायदा उठाया जाए, या नेक
सन्तान जो उसके लिए दुआ करे।"
(हदीस : मुस्लिम)

with best compliment from

Master

Abdul Razzaque

Makholi (Raj.)

विचार

नैतिक मूल्य : मानव प्रगति का वास्तविक आधार

❖एफ. ए. मुजीब

मानव इतिहास का अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य हमारे सामने रखता है। किसी भी सभ्यता या राष्ट्र की महानता केवल उसकी भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियों, विशाल इमारतों, चौड़ी सड़कों, आर्थिक समृद्धि या सैन्य शक्ति से नहीं आंकी जाती। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसके नागरिक कितने सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, उत्तरदायी और सामाजिक रूप से संवेदनशील हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक शक्तिशाली साम्राज्य अपार धन-संपत्ति और वैभव के बावजूद नैतिक पतन के कारण मिट गए, जबकि सीमित संसाधनों वाले समाज अपने उच्च चरित्र और नैतिक आदर्शों के कारण युगों तक सम्मानित रहे।

आज का मनुष्य अभूतपूर्व भौतिक प्रगति के युग में जी रहा है। उसने पृथ्वी की दूरियों को सिमटा दिया है, आकाश की ऊंचाइयों को माप लिया है, समुद्र की गहराइयों में उतर चुका है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अपनी क्षमताओं का निरंतर विस्तार कर रहा है। किंतु इस अद्भुत प्रगति के बीच एक प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हज़ारों वर्ष पहले था—क्या केवल भौतिक विकास ही मानव सुख और समृद्धि की गारंटी है?

यदि इसका उत्तर हां होता, तो आधुनिक और विकसित समाज भय, मानसिक तनाव, पारिवारिक विघटन, अपराध, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और अकेलेपन जैसी समस्याओं से नहीं जूझ रहे होते। सत्य यह है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना भी है; केवल बुद्धि नहीं, बल्कि अंतःकरण भी है; केवल आवश्यकताओं का पुतला नहीं, बल्कि मूल्यों का वाहक भी है। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन, आत्मा और चरित्र को नैतिक पोषण की आवश्यकता होती है।

यह सम्पूर्ण जगत विविधताओं से भरा हुआ है, फिर भी इसका संचालन अद्भुत अनुशासन और संतुलन के साथ हो रहा है। असंख्य तारे हैं, पर उनका नियम एक है। ऋतुएं अपने समय पर आती हैं, ग्रह अपनी निश्चित गति से चलते हैं और प्रकृति का प्रत्येक तत्व किसी गहरे उद्देश्य और व्यवस्था का संकेत देता है। मनुष्य भी इसी व्यवस्था का एक अंग है। इसलिए उसका जीवन भी उद्देश्य और उत्तरदायित्व से रहित नहीं हो सकता।

मनुष्य के भीतर एक ऐसी नैतिक चेतना विद्यमान है जो उसे सही और ग़लत का बोध कराती है। अन्याय करने से पहले उसका अंतःकरण उसे टोकता है और किसी की सहायता करने पर उसे एक गहरा संतोष प्राप्त होता है। यह आंतरिक चेतना ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग पहचान देती है। किंतु यह चेतना तभी जीवित रहती है, जब मनुष्य स्वयं को केवल इच्छाओं का दास न मानकर एक उत्तरदायी अस्तित्व के रूप में देखता है।

यहीं से उत्तरदायित्व का भाव जन्म लेता है। एक पिता केवल अपने परिवार का पालनकर्ता नहीं होता, बल्कि अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण का उत्तरदायी भी होता है। एक शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गढ़ता है। एक व्यापारी केवल व्यापार नहीं करता, बल्कि समाज में विश्वास की नींव मज़बूत करता है। एक पत्रकार केवल समाचार नहीं देता, बल्कि समाज के विवेक को जागृत रखता है। एक शासक केवल शासन नहीं करता, बल्कि न्याय और जनकल्याण की ज़िम्मेदारी निभाता है।

समाज इन्हीं छोटे-छोटे उत्तरदायित्वों की मज़बूत कड़ियों से निर्मित होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने हित के लिए जीने लगे, तो सामाजिक जीवन बिखर जाएगा। किंतु यदि हर व्यक्ति दूसरों के अधिकारों को भी अपना दायित्व समझे, तो सामाजिक चेतना का विकास होगा।

सामाजिक चेतना का अर्थ है कि मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के दायरे से बाहर निकले। वह यह समझे कि ग़रीबी केवल ग़रीबों की समस्या नहीं, अशिक्षा केवल अशिक्षितों की समस्या नहीं, भ्रष्टाचार केवल सरकार की समस्या नहीं और पर्यावरण का संकट केवल वैज्ञानिकों की चिंता नहीं है। ये सब मानव समाज की सामूहिक चुनौतियां हैं और इनके समाधान के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक है।

किन्तु यहां एक और प्रश्न उठता है। यदि मनुष्य को पूर्ण

स्वतंत्रता प्राप्त हो और कोई उसकी निगरानी करने वाला न हो, तो उसे अन्याय और अनैतिकता से कौन रोकेगा?

क़ानून आवश्यक है, किंतु उसकी अपनी सीमाएं हैं। न्यायालय प्रत्येक विचार का निर्णय नहीं कर सकता, पुलिस प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण की निगरानी नहीं कर सकती और समाज हर समय हर व्यक्ति पर दृष्टि नहीं रख सकता। इसलिए मानव जीवन को एक ऐसी आंतरिक नैतिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जो उसे एकांत में भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे।

मानव सभ्यता की महान आध्यात्मिक परंपराओं ने सदैव इस सत्य की ओर संकेत किया है कि इस सृष्टि का एक परम नियंता है, जो सब कुछ देखता और जानता है, जिसके ज्ञान से कोई कर्म छिपा नहीं है और जिसके समक्ष प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्यों का उत्तर देना होगा। यही भावना मनुष्य को सिखाती है कि जीवन एक अमानत है, शक्ति एक अमानत है, धन एक अमानत है और ज्ञान भी एक अमानत है।

जब मनुष्य स्वयं को उत्तरदायी समझता है, तब उसके नैतिक मूल्य केवल सामाजिक प्रदर्शन नहीं रह जाते, बल्कि उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक अंग बन जाते हैं। वह सत्य इसलिए नहीं बोलता कि लोग उसकी प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कि सत्य स्वयं में एक मूल्य है। वह न्याय इसलिए नहीं करता कि उसे पुरस्कार मिले, बल्कि इसलिए कि न्याय करना उसका कर्तव्य है। वह दूसरों की सहायता इसलिए नहीं करता कि उसका नाम हो, बल्कि इसलिए कि मानवता का यही तक़ाज़ा है।

इसी प्रकार एक ऐसा समाज निर्मित होता है, जहां नैतिकता, उत्तरदायित्व और सामाजिक चेतना एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। वहां शक्ति संरक्षण का माध्यम बनती है, ज्ञान अज्ञान को दूर करता है, धन जनकल्याण का साधन बनता है और स्वतंत्रता अनुशासन तथा ज़िम्मेदारी के साथ जुड़ जाती है।

आज मानवता को केवल नई तकनीक या अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। उसे नैतिक जागरण की आवश्यकता है। मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता है कि प्रगति का अर्थ केवल जीवन को सुविधाजनक बनाना नहीं, बल्कि उसे श्रेष्ठ बनाना भी है। यदि धन बढ़ जाए, पर ईमानदारी समाप्त हो जाए; यदि ज्ञान बढ़ जाए, पर विवेक खो जाए; यदि शक्ति बढ़ जाए, पर न्याय समाप्त हो जाए, तो ऐसी प्रगति अंततः मानवता के लिए संकट बन जाती है।

कोई समाज सीमित संसाधनों के बावजूद सुखी और स्थिर रह सकता है, यदि उसके भीतर विश्वास, न्याय, ईमानदारी और परस्पर सम्मान जीवित हों। किंतु नैतिक दिवालियापन के साथ कोई भी समाज वास्तविक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे उसके पास असीमित धन और अत्याधुनिक साधन क्यों न हों।

मानव प्रगति का वास्तविक आदर्श यही है कि भौतिक विकास और नैतिक उत्कर्ष साथ-साथ चलें। मनुष्य पृथ्वी को समृद्ध बनाए, विज्ञान और ज्ञान को आगे बढ़ाए, उद्योग और व्यापार का विकास करे और जीवन की सुविधाओं का लाभ उठाए, किंतु इस यात्रा में अपने अंतःकरण, अपने नैतिक मूल्यों और अपनी मानवीय संवेदनाओं को न खोए।

और संभवतः यही वह सत्य है जो मनुष्य को स्मरण कराता है कि वह इस जगत में अकेला नहीं है। एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और न्यायकारी है; जिसने मनुष्य को बुद्धि भी दी, विवेक भी; स्वतंत्रता भी दी और उत्तरदायित्व भी; और जिसके समक्ष एक दिन प्रत्येक कर्म का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा।

यह भावना भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके उच्चतम मानवीय स्तर तक पहुंचाने के लिए है। यही भावना उसे स्वार्थ से सेवा की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, घृणा से करुणा की ओर और विभाजन से मानव एकता की ओर ले जाती है।

अंततः किसी राष्ट्र या सभ्यता की सफलता केवल उसकी आर्थिक शक्ति से नहीं मापी जा सकती। भौतिक समृद्धि कम हो तो परिश्रम और ज्ञान से उसे बढ़ाया जा सकता है, संसाधनों की कमी हो तो बुद्धिमत्ता से उसे दूर किया जा सकता है; किंतु यदि नैतिक मूल्य नष्ट हो जाएं, उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो जाए, सामाजिक चेतना मर जाए और अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध खो जाए, तो कोई भी संपन्नता उस समाज को स्थायी सुख और शांति नहीं दे सकती।

मानव सभ्यता की स्थायी नींव पत्थरों, इस्पात और धन पर नहीं, बल्कि सत्य, ईमानदारी, न्याय, करुणा, उत्तरदायित्व और इस विश्वास पर टिकी होती है कि मनुष्य अपने कर्मों में स्वतंत्र तो है, किंतु निरंकुश नहीं; उसे एक दिन अपने प्रत्येक कर्म का उत्तर देना है। यही विश्वास व्यक्ति को चरित्रवान, समाज को सभ्य और मानवता को वास्तविक प्रगति तथा स्थायी कल्याण की दिशा में अग्रसर करता है। ■■

आत्ममंथन

राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रवाद के बीच विवेक की तलाश

❖सुफ़ियान अहमद

स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि आत्म-मंथन का अवसर भी है। हर वर्ष 15 अगस्त को जब तिरंगा आकाश में लहराता है, राष्ट्रगान की धुन वातावरण में गूंजती है और लाखों भारतीय अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, तब हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से देश के प्रति गर्व और अपनत्व का भाव जागृत होता है। यह भावना किसी भी जीवंत राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। देश से प्रेम, उसकी मिट्टी और संस्कृति के प्रति सम्मान ही उस चेतना का आधार है जिसने हमें स्वतंत्रता तक पहुंचाया।

किन्तु इतिहास यह भी सिखाता है कि हर महान भावना की तरह राष्ट्रप्रेम को भी विवेक की आवश्यकता होती है। जब प्रेम संतुलित रहता है तो वह राष्ट्र का निर्माण करता है, लेकिन जब वही भावना स्वयं को सर्वोच्च सत्य घोषित कर देती है, तब उसके भीतर ऐसी प्रवृत्तियां जन्म ले सकती हैं जो समाज और मानवता दोनों के लिए चुनौती बन जाती हैं। इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि यह पूछने का अवसर भी है कि हमारा राष्ट्रप्रेम कैसा हो? समावेशी या बहिष्कारी, विनम्र या अहंकारी, रचनात्मक या विध्वंसक, रक्षात्मक या आक्रामक?

राष्ट्र किसी भी नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी सुरक्षा, अखंडता और समृद्धि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। लेकिन क्या राष्ट्र स्वयं ही सर्वोच्च नैतिक मूल्य बन जाना चाहिए? यह प्रश्न नया नहीं है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में रवींद्रनाथ टैगोर, गांधीजी, जॉर्ज ऑरवेल और हन्ना अरेंड्ट जैसे अनेक चिंतकों ने अलग-अलग संदर्भों में इस प्रश्न पर विचार किया है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्र महत्वपूर्ण है, परन्तु उससे भी ऊपर वे नैतिक सिद्धांत हैं जिनके कारण राष्ट्र सम्मान के योग्य बनता है; न्याय, स्वतंत्रता, समानता, मानव गरिमा और क़ानून का शासन। इतिहास यह संकेत देता है कि जब किसी भी समाज में किसी एक विचार को सर्वोच्च मान लिया जाता है, तब अन्य नैतिक मूल्यों के संतुलन की चुनौती उत्पन्न हो सकती है।

अतीत के अनेक उदाहरण बताते हैं कि जब किसी राष्ट्र ने स्वयं को नैतिकता का अंतिम स्रोत मान लिया, तब युद्ध, उपनिवेशवाद और व्यापक हिंसा को भी राष्ट्रीय गौरव के नाम पर उचित ठहराया गया। बीसवीं शताब्दी के विश्वयुद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं थे; वे यह भी याद दिलाते हैं कि जब राष्ट्रीय गौरव विवेक से अलग हो जाए, तो उसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि राष्ट्रवाद स्वभावतः बुरा है, बल्कि यह कि किसी भी विचार की तरह उसका भी संतुलन आवश्यक है।

इसी प्रकार राष्ट्रवाद कभी-कभी "हम" और "वे" की ऐसी मानसिकता को जन्म दे सकता है जिसमें अपने राष्ट्र का सम्मान धीरे-धीरे दूसरों के प्रति अवमानना में बदलने लगता है। स्वस्थ देशप्रेम हमें अपने देश से प्रेम करना सिखाता है; राष्ट्रप्रेम का कोई भी रूप तब अधिक सुदृढ़ माना जाता है, जब उसमें आत्म-गौरव के साथ आत्म-संयम और दूसरों के प्रति सम्मान भी जुड़ा हो। दोनों के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। अपने घर से प्रेम करने के लिए पड़ोसी के घर से नफ़रत करना आवश्यक नहीं होता। उसी प्रकार अपने राष्ट्र का सम्मान करने के लिए दूसरे राष्ट्रों, संस्कृतियों या समुदायों का अपमान करना भी आवश्यक नहीं है।

भारत की सभ्यता ने सदैव एक व्यापक दृष्टि प्रस्तुत की है। यहां विविध भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं सहस्राब्दियों से साथ-साथ विकसित हुई हैं। यह विविधता भारत की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि राष्ट्रप्रेम इस विविधता को स्वीकार करता है तो वह भारतीयता को मज़बूत करता है; यदि वह विविधता को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, तो वही राष्ट्रप्रेम अपने मूल उद्देश्य से भटक सकता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि भारत की शक्ति उसकी एकरूपता में नहीं, बल्कि उसकी बहुलता में निहित है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें

नागरिक अपने ही राज्य और सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। राज्य और राष्ट्र एक ही बात नहीं हैं। सरकार बदलती रहती है, नीतियां बदलती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र बना रहता है। लोकतांत्रिक परंपराओं में राष्ट्र और शासन-व्यवस्था के बीच अंतर को समझना आवश्यक माना गया है। विभिन्न मतों और विचारों का सम्मान लोकतांत्रिक संस्कृति का स्वाभाविक अंग है। जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नागरिकों को निर्भीक होकर विचार व्यक्त करने का अधिकार देना भी था।

आलोचना लोकतंत्र की शत्रु नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा-व्यवस्था है। जब पत्रकार प्रश्न पूछता है, न्यायालय किसी निर्णय की समीक्षा करता है, विश्वविद्यालयों में बहस होती है या नागरिक किसी नीति पर असहमति व्यक्त करते हैं, तब वे राष्ट्र को कमज़ोर नहीं कर रहे होते; वे उस लोकतांत्रिक ढांचे को मज़बूत कर रहे होते हैं जिसके कारण राष्ट्र जीवंत बना रहता है। निश्चित ही आलोचना तथ्यपरक, ज़िम्मेदार और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर होनी चाहिए, किन्तु आलोचना का अधिकार स्वयं लोकतंत्र की आत्मा है।

स्वतंत्रता दिवस हमें यह भी स्मरण कराता है कि मनुष्य की नैतिकता केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं हो सकती। भारतीय चिंतन की एक विशिष्ट पहचान यह रही है कि उसने राष्ट्रप्रेम और विश्वमानवता को कभी परस्पर विरोधी नहीं माना। "वसुधैव कुटुम्बकम्" का आदर्श इसी व्यापक दृष्टि का प्रतीक है, जो समूची पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। इसका अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा को कम करना नहीं, बल्कि उसे व्यापक मानवीय उत्तरदायित्व से जोड़ना है।

हम भारतीय हैं और इस पहचान पर हमें गर्व है, लेकिन हम मनुष्य भी हैं। यदि दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध, अकाल, महामारी या अन्याय होता है, तो संवेदनशील समाज उससे उदासीन नहीं रह सकता। भारत की विदेश नीति और मानवीय परंपरा दोनों ही समय-समय पर यह संदेश देती रही हैं कि राष्ट्रीय हित और वैश्विक उत्तरदायित्व परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

आज जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद, साइबर अपराध और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां किसी एक देश की सीमाओं में नहीं बंधी हैं। इन समस्याओं का समाधान भी केवल राष्ट्रीय हित की संकीर्ण परिभाषा से संभव नहीं है। सहयोग, संवाद और साझा उत्तरदायित्व ही भविष्य का मार्ग हैं। इसलिए ऐसा राष्ट्रप्रेम, जो अपने देश को मज़बूत बनाने के साथ-साथ मानवता के व्यापक हितों को भी महत्व देता है, अधिक टिकाऊ और नैतिक प्रतीत होता है।

भारत का संविधान इस संतुलन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा का दायित्व देता है, साथ ही प्रत्येक नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भी रक्षा करता है। यही कारण है कि संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्र के प्रति निष्ठा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे को सुदृढ़ करने वाले मूल्य हैं। जब नागरिक संविधान की भावना के अनुरूप व्यवहार करते हैं, तब वे राष्ट्र की वास्तविक सेवा करते हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलाम करते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह ध्वज केवल हमारी सीमाओं का प्रतीक नहीं, बल्कि उन आदर्शों का भी प्रतीक है जिनके लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन न्योछावर किया। उनका संघर्ष केवल विदेशी शासन से मुक्ति का संघर्ष नहीं था; वह न्यायपूर्ण, सम्मानजनक और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण का भी संघर्ष था।

इसलिए राष्ट्रप्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप वही है जिसमें गर्व हो, पर अहंकार न हो; शक्ति हो, पर अन्याय न हो; आत्म-सम्मान हो। इतिहास हमें यह सिखाता है कि किसी भी समाज के लिए आत्म-गौरव और वैश्विक सद्भाव के बीच संतुलन बनाए रखना अधिक हितकारी होता है; साथ ही राष्ट्रीय हित के साथ मानवीय संवेदना भी बनी रहे। ऐसा राष्ट्रप्रेम न केवल भारत को मज़बूत बनाता है, बल्कि उसे विश्व समुदाय में नैतिक नेतृत्व का अधिकारी भी बनाता है।

स्वतंत्रता दिवस का संदेश यही है कि अपने देश से प्रेम कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी प्रगति के लिए श्रम कीजिए, उसके संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान कीजिए। साथ ही यह भी स्मरण रखिए कि महान राष्ट्र वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करे, अपनी विविधता को सम्मान दे, आलोचना से न डरे और मानवता के व्यापक हितों को कभी अपनी दृष्टि से ओझल न होने दे। यही संतुलित राष्ट्रप्रेम भारत की सबसे बड़ी पहचान है और यही हमारी स्वतंत्रता की सबसे मूल्यवान विरासत भी है। ■■

मस्जिद पर अन्याय के विरोध में उतरा हिन्दू समाज

थार की पुकार

❖संपादन प्रभाग

आज जब समाज का एक बड़ा हिस्सा अविश्वास, ध्रुवीकरण और वैचारिक टकराव के दौर से गुज़र रहा है, तब राजस्थान के थार क्षेत्र, विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर से आई एक ख़बर आशा की ऐसी किरण बनकर सामने आई है, जिसने यह विश्वास जगाया है कि भारत की आत्मा अभी जीवित है।

मस्जिदों के ध्वस्तीकरण के विरोध में केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों का एक साथ खड़ा होना किसी सामान्य विरोध-प्रदर्शन की घटना नहीं थी। यह उस विचार का सार्वजनिक उद्घोष था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अनुचित आघात केवल एक समुदाय पर हमला नहीं, बल्कि भारत की साझी विरासत और संवैधानिक मूल्यों पर चोट है। यह संदेश जितना स्थानीय था, उतना ही राष्ट्रीय महत्व का भी।



यह घटना मात्र एक समाचार भर नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के आत्म-मंथन का अवसर भी है। भारत के इतिहास पर यदि निष्पक्ष दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि इस देश की सभ्यता का विकास विविधताओं के साथ हुआ है। विभिन्न मत, पंथ, भाषाएं और संस्कृतियां यहां आईं, एक-दूसरे से मिलीं और समय के साथ भारतीयता का हिस्सा बन गईं। गांवों और क़स्बों में मंदिर और मस्जिद एक ही मोहल्ले में बने, गुरुद्वारे और चर्च भी उसी सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा रहे। लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, सुख-दुःख बांटते थे और धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद सामाजिक रिश्ते बनाए रखते थे।

यद्यपि विभिन्न कालखंडों में संघर्ष और तनाव के प्रसंग भी सामने आए, फिर भी भारतीय समाज की मूल प्रवृत्ति एवं सामाजिक संरचना का आधार व्यापक सह-अस्तित्व रहा है, न कि स्थायी वैमनस्य। यही कारण है कि सदियों की विविधता के बावजूद यह देश एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में विकसित हो सका।

आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राजनीतिक और वैचारिक ध्रुवीकरण ने सामाजिक विश्वास की नींव को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया, त्वरित सूचनाओं और आधे-अधूरे तथ्यों के दौर में अफ़वाहें पहले फैलती हैं और सत्य बाद में सामने आता है। परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संदेह की खाई लगातार गहरी होती जाती है।

ऐसे वातावरण में राजस्थान के थार क्षेत्र के लोगों ने जो किया, वह केवल विरोध नहीं था; वह सामाजिक परिपक्वता का परिचय था। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी अन्य समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना अपने धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन है। यदि किसी मस्जिद पर अन्याय होता है तो उसका विरोध

करने वाला हिंदू भी उतना ही भारत का सच्चा नागरिक है, जितना किसी मंदिर पर अन्याय होने पर उसके समर्थन में खड़ा होने वाला मुस्लिम।

यही संविधान की भावना भी है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार देता है। इन अधिकारों की रक्षा केवल न्यायालयों का दायित्व नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना का भी विषय है। जब नागरिक स्वयं अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, तभी लोकतंत्र मज़बूत होता है।

इस घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष मुस्लिम समाज का संयम भी है। किसी भी संवेदनशील परिस्थिति में धैर्य, विधिक प्रक्रिया पर विश्वास और सामाजिक शांति बनाए रखना अत्यंत कठिन होता है। यदि किसी समुदाय के भीतर आक्रोश के स्थान पर संयम दिखाई देता है, तो वह सामाजिक स्थिरता का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। उसी प्रकार यदि दूसरा समुदाय उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर साथ खड़ा होता है, तो वह विश्वास की नई शुरुआत बन जाती है। इसलिए राजस्थान की यह घटना सामाजिक मनोविज्ञान के स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हमारी धार्मिक एवं नैतिक परंपराएं न्याय, करुणा और सह-अस्तित्व का समान संदेश देती हैं, अतः संघर्ष का आधार धर्म नहीं, बल्कि मनुष्य की संकीर्ण सोच बन जाती है।

राजनीति का स्वभाव प्रतिस्पर्धा का हो सकता है, किन्तु समाज का स्वभाव सहयोग का होना चाहिए। यदि समाज स्वयं राजनीतिक ध्रुवीकरण का माध्यम बन जाएगा, तो अंततः सबसे अधिक नुक़सान उसी समाज को उठाना पड़ेगा। इसलिए नागरिकों की भूमिका केवल मतदान तक सीमित नहीं है; उन्हें सामाजिक संवाद, परस्पर विश्वास और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में भी सक्रिय रहना होगा।

राजस्थान के थार क्षेत्र के लोगों ने जो किया, वह केवल विरोध नहीं था; वह सामाजिक परिपक्वता का परिचय था। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी अन्य समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना अपने धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन है। यदि किसी मस्जिद पर अन्याय होता है तो उसका विरोध करने वाला हिंदू भी उतना ही भारत का सच्चा नागरिक है, जितना किसी मंदिर पर अन्याय होने पर उसके समर्थन में खड़ा होने वाला मुस्लिम।

थार के लोगों ने यही संदेश दिया है कि बाहरी वैचारिक विभाजन स्थानीय सामाजिक संबंधों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। जिन लोगों ने वर्षों तक साथ जीवन बिताया है, वे यदि चाहें तो किसी भी नफ़रत के अभियान से ऊपर उठ सकते हैं। यही भारत की वास्तविक शक्ति है।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी एक सकारात्मक घटना से सभी समस्याएं समाप्त नहीं हो जातीं। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए निरंतर संवाद, न्यायपूर्ण प्रशासन, निष्पक्ष क़ानून-व्यवस्था और ज़िम्मेदार सार्वजनिक विमर्श आवश्यक है। केवल भावनात्मक अपील पर्याप्त नहीं; संस्थागत विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

राजस्थान के थार से उठी यह आवाज़ हमें याद दिलाती है कि भारत की पहचान नफ़रत से नहीं, बल्कि साझेदारी से बनी है। यदि देश के विभिन्न हिस्सों में लोग एक-दूसरे के धार्मिक अधिकारों की रक्षा को अपना नागरिक दायित्व मान लें, तो सामाजिक विश्वास पुनः स्थापित हो सकता है। यही वह मार्ग है जो लोकतंत्र को मज़बूत करेगा, संविधान की भावना को जीवित रखेगा और आने वाली पीढ़ियों को एक अधिक शांतिपूर्ण भारत देगा।

आज आवश्यकता केवल इस बात की नहीं कि हम इन तस्वीरों को देखें; आवश्यकता इस बात की है कि हम इनसे सीखें। यदि थार की रेत से उठी यह सौहार्द की मशाल पूरे देश में फैल सके, तो संभव है कि भारत फिर उसी पहचान की ओर लौटे जिसके कारण उसे सदियों से विविधता में एकता का अद्वितीय उदाहरण कहा जाता रहा है। यही हमारी साझा विरासत है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही भविष्य के भारत की सबसे मज़बूत नींव भी बन सकती है। ■■

समसामयिक

हम भारत के लोग : नागरिक या निवासी?

❖संपादन प्रभाग

हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। लगभग हर कुछ समय बाद नागरिकता को लेकर कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी को केवल मतदान का दस्तावेज़ बताया जाता है, कभी राशन कार्ड को नागरिकता से असंबंधित कहा जाता है, तो कभी पासपोर्ट को भी अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। ऐसे बयानों के बाद देश के करोड़ों लोगों के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि ये सब नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं, तो फिर नागरिकता का प्रमाण आख़िर है क्या?

यह प्रश्न केवल क़ानूनी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है। एक लोकतांत्रिक राज्य का पहला दायित्व अपने नागरिकों को सुरक्षा और स्पष्टता देना होता है, न कि उन्हें लगातार असमंजस और आशंका में रखना। यदि नागरिक ही यह न जान सके कि उसकी नागरिकता किस आधार पर सुरक्षित है, तो लोकतंत्र का भरोसा धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है।

भारतीय संविधान के प्रारंभिक अनुच्छेद नागरिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, जबकि बाद में नागरिकता का विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विकसित हुआ। इस क़ानून में जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण (Naturalisation) और किसी क्षेत्र के भारत में विलय के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान हैं। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर अधिकांश भारतीयों को कभी कोई "नागरिकता प्रमाण-पत्र" नहीं दिया जाता। करोड़ों लोग जन्म से भारतीय हैं, उनके माता-पिता भारतीय हैं, वे यहीं रहते हैं, यहीं कर चुकाते हैं, यहीं मतदान करते हैं और यहीं उनके जीवन की पूरी यात्रा बीतती है। फिर भी यदि समय-समय पर यह कहा जाए कि उनके पास मौजूद कोई भी दस्तावेज़ नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से भ्रम और असुरक्षा पैदा होगी।

वास्तविकता यह है कि भारत में सामान्य नागरिक के पास ऐसा कोई एकल दस्तावेज़ नहीं होता जिसे सार्वभौमिक रूप से "भारतीय नागरिकता प्रमाण-पत्र" कहा जा सके। आधार संख्या का उद्देश्य पहचान (Identity) स्थापित करना है, नागरिकता नहीं। मतदाता पहचान पत्र मतदान के अधिकार का दस्तावेज़ है। राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रिकॉर्ड है। पैन कार्ड कराधान से जुड़ा दस्तावेज़ है। पासपोर्ट यात्रा का सरकारी दस्तावेज़ है, जो नागरिकता के आधार पर जारी होता है, किंतु उसे भी प्रत्येक परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण मानने की क़ानूनी व्यवस्था नहीं है। यही अस्पष्टता समय-समय पर विवाद का कारण बनती है।

समस्या केवल दस्तावेज़ों की नहीं, बल्कि सरकारी संवाद की भी है। जब सरकार या उसके प्रतिनिधि यह कहते हैं कि "फ़लां दस्तावेज़ नागरिकता का प्रमाण नहीं है", तो उसी समय उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि नागरिक किन दस्तावेज़ों के आधार पर स्वयं को सुरक्षित मानें। यदि केवल पहला वाक्य बोला जाए और दूसरा न कहा जाए, तो जनता के मन में अनावश्यक भय पैदा होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में सूचना आधी नहीं, पूरी दी जानी चाहिए।

यह भी विचारणीय है कि यदि देश के अधिकांश नागरिकों के पास कोई निश्चित नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं है, तो भविष्य में किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान वे स्वयं को कैसे प्रमाणित करेंगे? क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म, परिवार, निवास और अनेक पुराने अभिलेखों का बोझ जीवनभर ढोता रहे? क्या एक साधारण नागरिक से यह अपेक्षा उचित है कि वह हर समय अपनी नागरिकता सिद्ध करने की तैयारी करता रहे? लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों पर प्रमाण का बोझ बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और विश्वसनीय बनाना है।

इस पूरी बहस का एक सामाजिक पक्ष भी है। जब नागरिकता बार-बार सार्वजनिक विमर्श का विषय बनती है, तो समाज में संदेह का वातावरण तैयार होता है। लोग एक-दूसरे से पूछने लगते हैं कि किसके पास कौन-सा दस्तावेज़ है,

कौन "असल नागरिक" है और कौन नहीं। ऐसी मानसिकता सामाजिक विश्वास को कमज़ोर करती है। नागरिकता किसी व्यक्ति की गरिमा और संवैधानिक स्थिति से जुड़ा विषय है; इसे राजनीतिक बहस का स्थायी उपकरण नहीं बनना चाहिए।

राजनीतिक दल भी इस विषय को अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। सत्ता पक्ष प्रशासनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं पर बल देता है, जबकि विपक्ष नागरिक अधिकारों और संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं को सामने रखता है। लोकतंत्र में दोनों पक्षों का अपना स्थान है, लेकिन सबसे ऊपर जनता का अधिकार है कि उसे स्पष्ट, पारदर्शी और एकरूप जानकारी मिले। नागरिकता का प्रश्न चुनावी लाभ-हानि से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए।

यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में जन्मे अधिकांश लोगों ने कभी स्वयं नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया। उनकी नागरिकता क़ानून के अनुसार स्वतः प्राप्त हुई। इसलिए यदि किसी दिन उनसे यह पूछा जाए कि अपने भारतीय होने का अंतिम प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, तो यह प्रश्न केवल क़ानूनी नहीं बल्कि व्यावहारिक भी बन जाता है। सरकार को इस वास्तविकता को समझते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें सामान्य नागरिक अनिश्चितता का शिकार न हो।

दुनिया के अनेक देशों में नागरिकता के स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध हैं या जन्म पंजीकरण की ऐसी मज़बूत प्रणाली है, जो आगे चलकर नागरिकता निर्धारण का आधार बनती है। भारत में भी जन्म पंजीकरण व्यवस्था में सुधार हुआ है, किंतु आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके जन्म के समय यह व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। ऐसे में केवल दस्तावेज़ आधारित दृष्टिकोण कई व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल "निवासी" (Resident) है या "नागरिक" (Citizen) भी? दोनों में मूलभूत अंतर है। निवासी वह है जो किसी स्थान पर रहता है, जबकि नागरिक वह है जिसे संविधान विशेष अधिकार देता है और जो राज्य के प्रति कुछ दायित्व भी निभाता है। मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर आसीन होने की पात्रता और संवैधानिक संरक्षण नागरिकता से जुड़े अधिकार हैं। यदि राज्य नागरिकों को यह भरोसा ही न दे सके कि उनकी नागरिकता निर्विवाद रूप से सुरक्षित है, तो संवैधानिक विश्वास कमज़ोर पड़ सकते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि नागरिकता संबंधी क़ानूनों की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपने नागरिकों और विदेशियों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए तथा अवैध प्रवासन जैसी चुनौतियों का समाधान करे। किंतु इन उद्देश्यों की पूर्ति का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए जिससे वैध नागरिक भय और भ्रम का अनुभव न करें। राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकार, दोनों के बीच संतुलन लोकतांत्रिक शासन की कसौटी है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार एक आधिकारिक, स्पष्ट और व्यापक मार्गदर्शिका जारी करे, जिसमें सरल भाषा में बताया जाए कि भारतीय नागरिकता किन आधारों पर स्थापित होती है, किन परिस्थितियों में कौन-से दस्तावेज़ सहायक होते हैं, और सामान्य नागरिक को क्या सुरक्षित रखना चाहिए। इससे अफ़वाहों, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और अनावश्यक भय, तीनों में कमी आएगी। यदि कोई दस्तावेज़ नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि अंतिम प्रमाण किस प्रक्रिया और किन अभिलेखों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता; वह नागरिक और राज्य के बीच विश्वास पर भी चलता है। नागरिकता उस विश्वास की सबसे बुनियादी कड़ी है। यदि वही लगातार संदेह के घेरे में रहे, तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होती है। जनता को यह महसूस होना चाहिए कि राज्य उस पर विश्वास करता है और वह राज्य पर।

प्रश्न केवल यह नहीं है कि नागरिकता का प्रमाण-पत्र क्या है। असली प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र अपने नागरिकों को इतना भरोसा दे पा रहा है कि वे बिना भय के स्वयं को इस देश का समान अधिकार वाला नागरिक महसूस करें? यदि उत्तर अस्पष्ट है, तो आवश्यकता क़ानून बदलने से पहले संवाद बदलने की है। नागरिकता को राजनीतिक आशंका का नहीं, संवैधानिक विश्वास का विषय बनाया जाना चाहिए। जब तक सरकार स्पष्ट, एकरूप और सर्वमान्य व्यवस्था सामने नहीं रखती, तब तक यह बहस समाप्त नहीं होगी और हर नया बयान करोड़ों लोगों के मन में वही पुराना प्रश्न दोहराता रहेगा; हम भारतीय नागरिक हैं, इसका निर्विवाद प्रमाण आख़िर क्या है? ■■

ऋण-जाल : समाज के लिए अभिशाप

❖एम. एस. शम्सी

हमारे देश में क़र्ज़ के बोझ तले दबकर आत्महत्या की दर्दनाक घटनाओं की ख़बरों के बिना शायद ही कोई दिन गुज़रता हो। जून 2026 में नागपुर के किसान रामेश्वर हज़ारे द्वारा कृषि ऋण का बोझ न सह पाने के कारण आत्महत्या, कर्नाटक के मांड्या ज़िले के 35 वर्षीय किसान नागराजू द्वारा क़र्ज़ की वसूली के लिए साहूकार की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे देना तथा तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले में बक़ाया क़र्ज़ और संपत्ति विवाद के कारण एक ही परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या; ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जिनके बोझ तले हमारा समाज कराह रहा है। वास्तव में ये घटनाएं हिमशैल (Iceberg) के केवल ऊपरी हिस्से के समान हैं; वास्तविक संकट इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है।

लगातार बढ़ती महंगाई, रुपये के मूल्य में निरंतर गिरावट, बढ़ती बेरोज़गारी और आर्थिक ठहराव जैसी परिस्थितियों ने ग़रीब और कमज़ोर वर्ग की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, बैंकों सहित विभिन्न ऋण देने वाली संस्थाओं की बाढ़-सी आ गई है, जो पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को आकर्षक और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए वादों के माध्यम से क़र्ज़ लेने के लिए लुभाती रहती हैं।

क़र्ज़ के इस जाल में केवल ग़रीब किसान या ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग भी तेज़ी से फंसता जा रहा है। आज बाज़ार गृह ऋण, शिक्षा ऋण, विवाह ऋण, व्यक्तिगत ऋण आदि अनेक प्रकार की आकर्षक योजनाओं से भरा पड़ा है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं इन ऋणों का सुनहरा चित्र प्रस्तुत कर लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। यहां तक कि दैनिक उपभोग की छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने लगी है।

बढ़ता उपभोक्तावाद

उपभोक्तावाद (Consumerism) ऋणग्रस्तता की समस्या को और अधिक गंभीर बना देता है। यह एक सामाजिक-आर्थिक विचारधारा है, जिसमें व्यक्तिगत सुख और सामाजिक सफलता को लगातार अधिक से अधिक वस्तुएं ख़रीदने से जोड़ा जाता है। यह केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि ऐसी मानसिकता भी है, जिसमें भौतिक वस्तुओं का अधिकाधिक संग्रह ही प्रतिष्ठा, पहचान और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाने लगता है।

उपभोक्तावाद लोगों को अपनी वास्तविक आवश्यकताओं से कहीं अधिक वस्तुएं ख़रीदने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञापन और आक्रामक विपणन (Marketing) इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा देते हैं। परिणामस्वरूप, लोग अपनी आय और सामर्थ्य से अधिक ख़र्च करने लगते हैं और धीरे-धीरे क़र्ज़ के बोझ तले दब जाते हैं।

ऋण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग पर पड़ता है। कम आय वाले परिवार, ग्रामीण समुदाय और छोटे किसान अक्सर ऊंचे ब्याज पर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे वे ऐसे ऋण-जाल में फंस जाते हैं, जिससे निकल पाना लगभग असंभव हो जाता है।

विकासशील देशों में घरेलू ऋण का एक बड़ा कारण सामाजिक दबाव भी है। विवाह, पारिवारिक समारोह और सामाजिक रीति-रिवाजों पर होने वाला अत्यधिक ख़र्च आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को क़र्ज़ लेने के लिए विवश कर देता है, जिससे वे और अधिक ग़रीबी में धकेल दिए जाते हैं।

ऋण का बोझ केवल व्यक्तिगत आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती है। यह आर्थिक विकास को बाधित करता है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को और अधिक बढ़ाता है। यदि इस समस्या पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो अत्यधिक ऋण ग़रीबी के दुष्चक्र को स्थायी बना देगा, सरकारों की सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ख़र्च करने की क्षमता को सीमित कर देगा और समाज के दीर्घकालिक विकास एवं समृद्धि में बड़ी बाधा बन जाएगा।

परिवार और समाज पर ऋण के दुष्प्रभाव

अब यह समझना आवश्यक है कि ऋण किस प्रकार व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर अत्यधिक ऋण एक निरंतर मानसिक दबाव का कारण बन जाता है। जिन परिवारों पर क़र्ज़ का बोझ अधिक होता है, उन्हें अपनी आय का बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में लगाना पड़ता है। परिणामस्वरूप, वे मनोरंजन जैसी वैकल्पिक आवश्यकताओं ही नहीं, बल्कि कई बार भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर भी ख़र्च कम करने के लिए विवश हो जाते हैं। इससे उनके जीवन-स्तर में सीधी गिरावट आती है।

लगातार बना रहने वाला ऋण विशेष रूप से युवाओं, वंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को लंबे समय तक वित्तीय असुरक्षा में फंसाए रखता है। इससे वे समाज में सक्रिय भागीदारी करने और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

इतना ही नहीं, क़र्ज़ चुकाने का लगातार बना रहने वाला दबाव अवसाद, चिंता और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को जन्म देता है। कई मामलों में यही तनाव व्यक्ति को आत्महत्या जैसे क़दम उठाने तक पहुंचा देता है।

ऋणग्रस्तता के कुछ प्रमुख दुष्प्रभाव हैं–

1. ग़रीबी में वृद्धि : अत्यधिक क़र्ज़ परिवार की उपलब्ध आय को कम कर देता है, जिससे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी कठिन हो जाती है।

2. मानसिक तनाव : क़र्ज़ का बोझ लोगों को चिंता, अवसाद और भावनात्मक तनाव से ग्रस्त कर देता है। आर्थिक दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है।

3. उत्पादकता में कमी : आर्थिक चिंताएं व्यक्ति की एकाग्रता और कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। परिणामस्वरूप, नौकरी, व्यवसाय और अन्य कार्यों में उसकी उत्पादकता घट जाती है।

4. पारिवारिक कलह : ऋण के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव, विवाद और आपसी रिश्तों में खटास पैदा होती है। कई बार स्थिति अलगाव या परिवार के टूटने तक पहुंच जाती है।

5. सामाजिक समस्याएं : क़र्ज़ का दबाव लोगों को बार-बार नया ऋण लेने, अपनी संपत्ति बेचने या कभी-कभी अवैध और आपराधिक गतिविधियों का सहारा लेने के लिए भी मजबूर कर देता है।

6. जीवन-स्तर में गिरावट : ऋणग्रस्त परिवार आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं पर ख़र्च कम कर देते हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता लगातार गिरती जाती है।

7. आर्थिक अस्थिरता : यदि समाज में बड़ी संख्या में लोग ऋणग्रस्त हों, तो उपभोग और निवेश दोनों घटने लगते हैं। इसका सीधा असर आर्थिक विकास पर पड़ता है और वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है।

8. संपत्ति का नुक़सान : यदि ऋण समय पर नहीं चुकाया जाता, तो घर, ज़मीन या अन्य मूल्यवान संपत्ति ज़ब्त या बेचनी पड़ सकती है।

उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट की एक झलक

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति की अंतरिम रिपोर्ट ने देश में कृषि क्षेत्र, किसानों की बढ़ती ऋणग्रस्तता और उससे जुड़ी आत्महत्याओं की गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस समिति ने किसानों की समस्या को कम करने के लिए कृषि ऋण माफ़ी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को क़ानूनी दर्जा देने की सिफ़ारिश की है। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 21 नवम्बर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि उत्पादन में ठहराव और किसानों की आय में गिरावट के कारण वे लगातार क़र्ज़ के बोझ तले दबते जा रहे हैं। यही बढ़ता हुआ आर्थिक दबाव अनेक किसानों को निराशा की ओर धकेल रहा है और दुखद रूप से कई मामलों में आत्महत्या का कारण भी बन रहा है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में किसानों और कृषि मज़दूरों पर ऋण का बोझ चिंताजनक रूप से बढ़ा है।

समिति ने इस स्थिति को "लगातार गहराता हुआ संकट" बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले लगभग तीन दशकों में चार लाख से अधिक किसान और कृषि मज़दूर आत्महत्या कर चुके हैं, जो कृषि क्षेत्र की गंभीर समस्याओं का अत्यंत दर्दनाक प्रमाण है।

ऋण का बोझ केवल व्यक्तियों और परिवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरे देश और उसकी

आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ता है।

• सरकारी ऋण और सामाजिक व्यय में कटौती : जब किसी देश पर सरकारी ऋण अत्यधिक बढ़ जाता है, तो सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसी आवश्यक योजनाओं पर ख़र्च कम करके अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा ऋण और उसके ब्याज के भुगतान में लगाना पड़ता है।

• आर्थिक विकास की गति धीमी होना : राष्ट्रीय या कॉरपोरेट स्तर पर अत्यधिक ऋण आर्थिक मंदी को और गहरा कर सकता है। इससे उद्योगों में निवेश कम होता है, नए रोज़गार सृजित नहीं हो पाते और समग्र आर्थिक विकास की रफ़्तार धीमी पड़ जाती है।

ब्याज के दुष्प्रभाव और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के विचार

ब्याज के दुष्प्रभावों की सबसे प्रभावशाली और व्यवस्थित आलोचना करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों में जॉन मेनार्ड कीन्स (John Maynard Keynes) का नाम सबसे आगे आता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'The General Theory of Employment, Interest and Money' में उन्होंने तर्क दिया कि उच्च ब्याज दरें वास्तविक निवेश में सबसे बड़ी बाधा हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था ठहराव का शिकार हो जाती है।

ब्याज के संबंध में कीन्स के प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं–

उन्होंने 'रेंटियर वर्ग' (Rentier Class) की अवधारणा प्रस्तुत की। रेंटियर वर्ग से उनका आशय उन लोगों से था, जो कोई वस्तु या सेवा उत्पन्न किए बिना केवल धन जमा करके और उसे ब्याज पर उधार देकर आय अर्जित करते हैं।

कीन्स का मत था कि ब्याज दरों को यथासंभव शून्य के निकट लाया जाना चाहिए, ताकि इस रेंटियर वर्ग का प्रभाव समाप्त हो सके।

उनका यह भी कहना था कि ब्याज उत्पादक उद्यमों को हतोत्साहित करता है। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं, तो लोगों और निवेशकों के लिए धन को उद्योगों, मशीनों या रोज़गार सृजन में लगाने की अपेक्षा वित्तीय परिसंपत्तियों में रखना अधिक लाभदायक प्रतीत होता है। इससे उत्पादन, निवेश और रोज़गार; तीनों प्रभावित होते हैं तथा आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है।

केवल कीन्स ही नहीं, काल मार्क्स ने भी ब्याज आधारित व्यवस्था की आलोचना की। अपनी प्रसिद्ध कृति 'Das Kapital' में उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार ब्याज पर आधारित वित्तीय व्यवस्था पूंजीपतियों और वित्तीय संस्थाओं को श्रमिकों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) पर अधिकार करने का अवसर प्रदान करती है। उनके अनुसार, सूदख़ोर और वित्तीय पूंजी समाज के उत्पादक वर्गों; विशेषकर छोटे उत्पादकों और किसानों का शोषण करती है।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध व्यापारी और अर्थशास्त्री सिल्वियो गेसेल (Silvio Gesell) , जिनकी प्रशंसा स्वयं कीन्स ने भी की थी, ब्याज के कट्टर आलोचक थे। उनका मत था कि धन पर 'उपयोग शुल्क' (Demurrage) लगाया जाना चाहिए, ताकि लोग धन को निष्क्रिय रूप से जमा न रखें और वह व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों में लगातार प्रवाहित होता रहे। उनके अनुसार, ब्याज अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक गति में बाधा उत्पन्न करता है।

इस्लाम ने लगभग पंद्रह सौ वर्ष पूर्व ही सूद (रिबा) को स्पष्ट रूप से निषिद्ध घोषित कर दिया था। क़ुरआन की आयत 2:280 सहित अनेक आयतों में ब्याज से बचने तथा आर्थिक व्यवहार में न्याय और करुणा का निर्देश दिया गया है।

इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर मुहम्मद नेजातुल्लाह सिद्दीक़ी जैसे अनेक इस्लामी अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने इस्लामी वित्त (Islamic Finance) का एक व्यापक ढांचा विकसित किया है। उनका तर्क है कि ब्याज आधारित व्यवस्था धन को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर देती है, जबकि ऋण लेने वाले व्यक्ति पर पूरा जोखिम डाल देती है।

इसके स्थान पर वे लाभ-हानि की साझेदारी (Profit and Loss Sharing) पर आधारित आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जिसमें जोखिम और लाभ दोनों पक्षों के बीच न्यायपूर्ण ढंग से बांटे जाते हैं। उनके अनुसार, ऐसी व्यवस्था आर्थिक न्याय, सामाजिक संतुलन और समान अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सकती है।

समस्या का वास्तविक समाधान

इस्लाम ऋण की समस्या के समाधान के लिए एक व्यावहारिक, मानवीय और संतुलित व्यवस्था प्रस्तुत करता है। वह एक ओर रिबा (सूद/ब्याज) को पूरी तरह निषिद्ध घोषित करता है, ताकि लोग ऋण-जाल में न फंसें; वहीं दूसरी ओर ऋणदाता को कठिनाई में पड़े ऋणी के प्रति नरमी बरतने, उसे भुगतान के लिए समय देने तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण माफ़ कर देने की भी शिक्षा देता है। इस प्रकार

इस्लामी व्यवस्था का उद्देश्य ऋणी की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करना है।

ऋण के संबंध में इस्लाम जिन व्यावहारिक उपायों की शिक्षा देता है, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है–

1. परलोक को प्राथमिकता : इस्लाम मनुष्य को यह याद दिलाता है कि सांसारिक जीवन अस्थायी है और मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इसलिए इस नश्वर संसार को आवश्यकता से अधिक महत्व देने के बजाय उस शाश्वत जीवन की तैयारी करनी चाहिए, जो अधिक श्रेष्ठ और स्थायी है। क़ुरआन (87:16–17) के अनुसार, अधिकांश लोग अस्थायी सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हैं, जबकि परलोक अधिक उत्तम और स्थायी है। यही असीम भौतिक लालसा मनुष्य को धन-संपत्ति की अंधी दौड़ में धकेलती है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देती है।

2. ब्याज (रिबा) का निषेध : इस्लाम ब्याज या सूद को पूरी तरह निषिद्ध घोषित करता है। ब्याज-मुक्त आर्थिक व्यवस्था तथा शोषणकारी ऋण-प्रणाली पर रोक लगाकर वह लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के कारण उत्पन्न होने वाले विनाशकारी ऋण-जाल से बचाने का प्रयास करता है।

3. सादगीपूर्ण जीवन : इस्लाम सादा, संतोषपूर्ण और संयमित जीवन जीने की शिक्षा देता है। वह अनावश्यक उपभोग, दिखावे और भौतिक प्रतिस्पर्धा से बचने की सलाह देता है। व्यक्ति को अपनी आय और सामर्थ्य के अनुसार जीवन-यापन करना चाहिए तथा फ़िज़ूलख़र्ची से बचना चाहिए।

4. केवल आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेना : इस्लाम के अनुसार, ऋण लेना सामान्य आदत या विलासिता की वस्तुओं की पूर्ति का साधन नहीं होना चाहिए। यदि ऋण लेना अपरिहार्य हो, तो वह वास्तविक आवश्यकता और गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति में ही लिया जाए। साथ ही, ऋण लेने वाले की नीयत उसे लौटाने की हो तथा उसके पास चुकाने की यथार्थ योजना भी हो। भविष्य में विवाद से बचने के लिए ऋण का लिखित दस्तावेज़ तैयार करना और गवाह रखना भी आवश्यक बताया गया है।

5. ऋणी के प्रति नरमी और परोपकार : क़ुरआन (2:280) के अनुसार, यदि कोई ऋणी वास्तविक आर्थिक कठिनाई में हो, तो ऋणदाता को उसे भुगतान के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि ऋणदाता उसकी सहायता के लिए पूरा ऋण या उसका कुछ भाग माफ़ कर दे, तो इसे अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। शरिया क़ानून के अनुरूप ऋण-समझौते या पुनर्गठन की व्यवस्था भी स्वीकार्य है, बशर्ते उसमें ब्याज या मूल धन में अनुचित वृद्धि न की जाए।

6. ईश्वर पर भरोसा (तवक्कुल) और प्रार्थनाएं : इस्लाम कठिन परिश्रम, आय-व्यय में संतुलन और आर्थिक अनुशासन के साथ-साथ अल्लाह पर भरोसा (तवक्कुल) रखने की भी शिक्षा देता है। ऋण और आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति के लिए प्रामाणिक दुआओं का नियमित रूप से पढ़ना भी प्रोत्साहित किया गया है, ताकि व्यक्ति को मानसिक शांति मिले और वह कठिन परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना कर सके।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आवश्यकता से अधिक धन, विलासिता और भौतिक सुख-सुविधाओं की अंधी दौड़ ही लोगों को अपनी आय से अधिक ख़र्च करने के लिए प्रेरित करती है। यही प्रवृत्ति ऋणग्रस्तता की जड़ बनती है। अधिकांश मामलों में अत्यधिक ऋण का संबंध ब्याज आधारित वित्तीय व्यवस्था से भी जुड़ा होता है।

ऋण का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इससे आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती हैं, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पारिवारिक संबंध प्रभावित होते हैं, आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है और कई बार लोग आत्महत्या जैसे दुखद क़दम उठाने के लिए भी विवश हो जाते हैं।

अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का मत था कि ऊंची ब्याज दरें वास्तविक निवेश में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था ठहराव का शिकार हो जाती है। उन्होंने ब्याज दरों को यथासंभव कम करने की वकालत की, ताकि उस 'रेंटियर वर्ग' का प्रभाव समाप्त हो सके, जो बिना कोई उत्पादक कार्य किए केवल धन उधार देकर आय अर्जित करता है। उनके अनुसार, ऊंची ब्याज दरें उद्योगों, उत्पादन और रोज़गार में निवेश को हतोत्साहित करती हैं तथा आर्थिक विकास को धीमा कर देती हैं। सादा और संतुलित जीवन, ज़िम्मेदारी से ख़र्च करना, अनियंत्रित उपभोक्तावाद से बचना, नियोजित वित्तीय योजना बनाना तथा केवल वास्तविक और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ऋण लेना ऐसे उपाय हैं, जो ऋणग्रस्तता के दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ■■

जब मशीनें सोचने लगें
रोज़गार, समाज और आने वाला कल

❖डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी

क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना केवल विज्ञान-कथा में होती थी?

एक समय था जब इंसान केवल मशीनें बनाता था, आज वह ऐसी मशीनें बना रहा है जो सीख सकती हैं, लिख सकती हैं, चित्र बना सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं और कई मामलों में मनुष्यों जैसी निर्णय-प्रक्रिया का अनुकरण भी कर सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence—AI) अब विज्ञान-कथा का विषय नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। दफ़्तरों से लेकर कारख़ानों तक, अस्पतालों से लेकर अदालतों तक और कक्षाओं से लेकर न्यूज़ रूम तक, इसकी मौजूदगी तेज़ी से बढ़ रही है।

रोज़गार केवल आय का स्रोत नहीं होता; वह व्यक्ति की पहचान, आत्म-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में उसकी सार्थक भागीदारी का भी आधार होता है। इसलिए जब किसी तकनीक के कारण काम की प्रकृति बदलती है, तो उसका प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे और मानवीय रिश्तों को प्रभावित करता है।

इसी के साथ अनेक प्रश्न भी हमारे सामने खड़े हैं। क्या एआई इंसानों का काम आसान बनाकर उनकी उत्पादकता बढ़ाएगा, या बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार से वंचित कर देगा? क्या यह नई आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेगा, या बेरोज़गारी और बढ़ती असमानता का कारण बनेगा? और क्या फ़िल्मों में दिखाई जाने वाली 'मशीन बनाम इंसान' की दुनिया केवल कल्पना है, या उसके पीछे कोई वास्तविक ख़तरा भी छिपा है?

इन प्रश्नों के सरल उत्तर नहीं हैं। एआई अपने साथ अभूतपूर्व अवसर भी लेकर आया है और गंभीर चुनौतियां भी। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उसे किस उद्देश्य से विकसित करते हैं, किन नियमों के तहत उसका उपयोग करते हैं और बदलते समय के लिए अपने समाज, शिक्षा व्यवस्था तथा श्रम बाज़ार को कितना तैयार कर पाते हैं। इसलिए एआई पर बहस केवल तकनीक की नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और मानवता के भविष्य की बहस भी है।

बदलती दुनिया और बदलता काम

एआई का सबसे स्पष्ट प्रभाव कार्यस्थलों पर दिखाई देने लगा है। पहले स्वचालन (ऑटोमेशन) मुख्यतः कारख़ानों और उत्पादन इकाइयों तक सीमित था। अब यह कार्यालयों, मीडिया संस्थानों, बैंकों, अस्पतालों, विद्यालयों, अदालतों और सरकारी कार्यालयों तक पहुंच चुका है। अनेक ऐसे कार्य, जिन्हें कभी केवल प्रशिक्षित मनुष्य ही कर सकता था, अब एआई कुछ ही क्षणों में पूरा कर देता है।

पत्रकारिता में समाचारों का प्रारम्भिक मसौदा तैयार करना, ग्राहक सेवा में चैटबॉट, अस्पतालों में मेडिकल इमेज का विश्लेषण, बैंकिंग में जोखिम का आकलन, शिक्षा में व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री तैयार करना और सॉफ़्टवेयर विकास में कोड लिखना—ये सब अब सामान्य होते जा रहे हैं। इससे कार्य की गति बढ़ी है, लागत घटी है और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

लेकिन दूसरी ओर, लाखों कर्मचारियों के मन में यह

आशंका भी घर कर रही है कि कहीं उनका अनुभव और कौशल अप्रासंगिक न हो जाए। विशेष रूप से वे नौकरियां, जिनमें बार-बार दोहराए जाने वाले बौद्धिक या प्रशासनिक कार्य शामिल हैं, सबसे अधिक परिवर्तन के दौर से गुज़र रही हैं।

समाज, नैतिकता और एआई

रोज़गार केवल आय का स्रोत नहीं होता; वह व्यक्ति की पहचान, आत्म-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में उसकी सार्थक भागीदारी का भी आधार होता है। इसलिए जब किसी तकनीक के कारण काम की प्रकृति बदलती है, तो उसका प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे और मानवीय रिश्तों को प्रभावित करता है।

यदि बड़ी संख्या में लोग अचानक रोज़गार से बाहर हो जाएं, तो आर्थिक विषमता और सामाजिक असंतुलन बढ़ सकते हैं। तकनीकी दक्ष लोगों और सामान्य श्रमिकों के बीच आय का अंतर और बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों तथा कम शिक्षित वर्गों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में एआई केवल तकनीकी परिवर्तन का विषय नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास का भी प्रश्न बन जाएगा।

लेकिन बहस यहीं समाप्त नहीं होती। एआई ने अनेक गहरे नैतिक प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति को नौकरी देने, बैंक ऋण स्वीकृत करने, बीमा का दावा स्वीकार करने या पुलिस निगरानी जैसे संवेदनशील निर्णयों में एआई का उपयोग किया जाता है, तो यह सुनिश्चित कौन करेगा कि उसके निर्णय निष्पक्ष और पूर्वाग्रह-मुक्त हों? यदि किसी एल्गोरिदम में पक्षपात (Bias) मौजूद हो, तो वह लाखों लोगों के साथ अनजाने में भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार, व्यक्तिगत डेटा का व्यापक संग्रह, निजता का हनन, डीपफेक के माध्यम से झूठी सामग्री का निर्माण और मानवीय रचनात्मकता पर मशीनों की बढ़ती निर्भरता जैसे प्रश्न भी गंभीर नैतिक चिंता का विषय हैं।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब किसी एआई प्रणाली से कोई गंभीर ग़लती हो, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी—मशीन की, उसे विकसित करने वाली कंपनी की, या उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की? यही कारण है कि आज दुनिया भर में उत्तरदायी एआई (Responsible AI), पारदर्शिता, मानवीय निगरानी और स्पष्ट क़ानूनी ढांचे पर ज़ोर दिया जा रहा है।

इतिहास बताता है कि जब भी तकनीकी प्रगति के लाभ और उसके जोखिम समान रूप से नहीं संभाले जाते, तब असंतोष, असुरक्षा और सामाजिक तनाव बढ़ते हैं। इसलिए एआई पर चर्चा केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसमें अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, दार्शनिकों, विधि विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत और नागरिक समाज—सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आख़िरकार, प्रश्न केवल यह नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि यह भी है कि उसे क्या करना चाहिए, और उसकी सीमाएं कौन तय करेगा।

एआई : प्रतिस्पर्धी नहीं, सहयोगी

एआई को लेकर सबसे बड़ी ग़लतफ़हमी यह है कि वह मनुष्य का पूर्ण विकल्प बन जाएगा। वास्तव में वर्तमान एआई विशाल मात्रा में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है, पैटर्न पहचान सकता है और संभावनाएं बता सकता है, लेकिन उसके पास मानवीय अनुभव, नैतिक विवेक, सहानुभूति और परिस्थितियों की गहरी सामाजिक समझ नहीं होती।

एक चिकित्सक केवल जांच रिपोर्ट देखकर निर्णय नहीं लेता, वह रोगी की मानसिक स्थिति, पारिवारिक परिस्थितियों और जीवन की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखता है। एक शिक्षक केवल जानकारी नहीं देता, वह विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आत्मविश्वास और चरित्र का निर्माण भी करता है। एक पत्रकार केवल तथ्यों का संकलन नहीं करता, वह सामाजिक संदर्भों को समझता है, सत्ता से प्रश्न पूछता है और मानवीय पीड़ा को आवाज़ देता है।

इसलिए भविष्य का सबसे सफल मॉडल शायद वही होगा जिसमें मशीनें मनुष्य की क्षमता बढ़ाएं, न कि उसे अप्रासंगिक बना दें।

सावधानी भी उतनी ही आवश्यक

एआई जितना शक्तिशाली उपकरण है, उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी भी अपने साथ लाता है। आज फ़र्ज़ी वीडियो (डीपफेक), ग़लत सूचनाओं का तेज़ प्रसार, व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, एल्गोरिदमिक पक्षपात और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी चुनौतियां तेज़ी से सामने आ रही हैं।

यदि भर्ती प्रक्रिया, बैंक ऋण, बीमा, पुलिसिंग या न्यायिक सहायता जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एआई का उपयोग बिना पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही के किया गया, तो

भेदभाव और अन्याय की आशंका बढ़ सकती है। मशीनों द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने और उनके लिए उत्तरदायित्व तय करने की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए।

तकनीक स्वयं नैतिक नहीं होती, उसका उपयोग उसे नैतिक या अनैतिक बनाता है। इसलिए एआई के विकास के साथ-साथ उसके लिए मज़बूत क़ानूनी और नैतिक ढांचे की भी आवश्यकता है।

क्या मशीनें सचमुच मनुष्य पर राज कर सकती हैं?

हॉलीवुड और अन्य देशों की अनेक विज्ञान-कथा फ़िल्मों में ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वयं निर्णय लेने लगती है, मनुष्यों को अपना शत्रु मानती है और अंततः उन पर नियंत्रण स्थापित करने या उन्हें समाप्त करने का प्रयास करती है। इन कहानियों ने लोगों के मन में यह डर पैदा किया है कि कहीं एआई एक दिन मानव सभ्यता के लिए ख़तरा न बन जाए।

फ़िलहाल वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। आज की एआई स्वयं कोई इच्छा, चेतना, महत्वाकांक्षा या नैतिक समझ नहीं रखती। वह केवल मनुष्यों द्वारा तैयार किए गए एल्गोरिदम और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर काम करती है। उसके पास न अपनी स्वतंत्र सोच है और न ही अपने लक्ष्य तय करने की क्षमता। इसलिए फ़िल्मों में दिखाई गई "मशीनों के विद्रोह" जैसी स्थितियां आज की तकनीकी वास्तविकता से बहुत दूर हैं।

फिर भी यह कहना भी सही नहीं होगा कि कोई जोखिम है ही नहीं। वास्तविक ख़तरा किसी "सचेत मशीन" से कम और एआई के ग़लत उपयोग, अनियंत्रित विकास या ग़ैर-ज़िम्मेदाराना तैनाती से अधिक है। यदि शक्तिशाली एआई प्रणालियां बिना पर्याप्त निगरानी के विकसित हों, स्वायत्त हथियारों में उनका उपयोग बढ़े, या कुछ बड़ी कंपनियों और सरकारों के हाथों में उनका अत्यधिक नियंत्रण केन्द्रित हो जाए, तो इससे लोकतंत्र, निजता, रोज़गार और मानवाधिकारों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए चिंता का विषय मशीनों का विद्रोह नहीं, बल्कि मनुष्यों द्वारा तकनीक का दुरुपयोग है।

इसी कारण दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति-निर्माता और तकनीकी कंपनियां उत्तरदायी एआई (Responsible AI), पारदर्शिता, मानवीय निगरानी और स्पष्ट क़ानूनी नियमों पर ज़ोर दे रही हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अंतिम और महत्वपूर्ण निर्णयों में मनुष्य की भूमिका बनी रहे, एआई के उपयोग की जवाबदेही तय हो और उसके विकास पर प्रभावी नियामक व्यवस्था हो। दूसरे शब्दों में, एआई से डरने के बजाय उसे विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रित करना ही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

क्या एआई केवल नौकरियां छीन रहा है?

इतिहास का अनुभव कुछ अलग कहानी कहता है। जब कम्प्यूटर आए थे, तब भी आशंका थी कि लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। वास्तव में अनेक पुराने कार्य समाप्त हुए, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल संचार, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं जैसे असंख्य नए क्षेत्रों का जन्म हुआ।

एआई भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। डेटा वैज्ञानिक, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, एआई प्रशिक्षक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, एआई नैतिकता सलाहकार, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, रोबोटिक्स तकनीशियन और मानव-मशीन सहयोग विशेषज्ञ जैसे नए पेशे तेज़ी से उभर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमियों और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए भी एआई अवसरों के नए द्वार खोल रहा है। सीमित संसाधनों वाला व्यक्ति अब कम लागत में बेहतर डिज़ाइन, अनुवाद, विपणन, शोध और ग्राहक सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इससे नवाचार और उद्यमिता को नई गति मिल सकती है।

अर्थात् प्रश्न केवल यह नहीं कि कितनी नौकरियां समाप्त होंगी, बल्कि यह भी है कि कितनी नई नौकरियां पैदा होंगी और क्या हमारे लोग उनके लिए तैयार होंगे।

शिक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा

यदि भविष्य का श्रम बाज़ार बदल रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था का भी बदलना अपरिहार्य है। केवल परीक्षा-केन्द्रित और रटने वाली शिक्षा आने वाले समय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगी।

विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता, डेटा की समझ, समस्या-समाधान क्षमता, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, संवाद कौशल और टीमवर्क जैसे गुण विकसित करने होंगे। साथ ही नैतिक शिक्षा और मानवीय संवेदनाओं को भी उतना ही महत्व देना होगा, क्योंकि यही वे क्षेत्र हैं जहां मनुष्य की विशिष्टता बनी रहेगी।

अब "एक डिग्री और पूरी नौकरी" वाला मॉडल धीरे-धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है। भविष्य में लोगों को जीवन भर सीखते रहना होगा। नए कौशल सीखना, पुराने कौशलों

को अद्यतन करना और बदलती तकनीक के अनुरूप स्वयं को तैयार करना सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाएगा।

सरकार, उद्योग और समाज की साझा ज़िम्मेदारी

एआई से होने वाले परिवर्तन को केवल बाज़ार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो तकनीकी प्रगति और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करें। कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार, डिजिटल अवसंरचना का निर्माण, पुनः प्रशिक्षण (Reskilling) और कौशल उन्नयन (Upskilling) की व्यापक व्यवस्था तथा एआई के लिए स्पष्ट नियामक ढांचा समय की आवश्यकता है।

उद्योग जगत की भी ज़िम्मेदारी केवल लागत घटाने तक सीमित नहीं हो सकती। यदि कंपनियां एआई के कारण कर्मचारियों की संख्या कम करती हैं, तो उन्हें उन्हीं कर्मचारियों को नए कौशल सिखाने और नई भूमिकाओं के लिए तैयार करने में भी निवेश करना चाहिए।

नागरिक समाज, शिक्षण संस्थानों और मीडिया की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। समाज में तकनीक को लेकर अनावश्यक भय फैलाने या अंधाधुंध उत्साह पैदा करने के बजाय संतुलित, तथ्यपरक और मानवीय संवाद की आवश्यकता है।

आने वाला कल: संकट या संभावना?

भविष्य के दो स्पष्ट चित्र हमारे सामने हैं। पहला, ऐसा समाज जहाँ कुछ बड़ी कंपनियाँ अत्याधुनिक एआई की शक्ति पर नियंत्रण रखें, बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गारी और असुरक्षा का सामना करें और आर्थिक विषमता बढ़ती चली जाए। दूसरा, ऐसा समाज जहाँ एआई उत्पादकता बढ़ाए, कठिन और जोखिमपूर्ण कार्य मशीनें करें, जबकि मनुष्य अधिक रचनात्मक, नवाचारी और मानवीय भूमिकाओं में आगे बढ़े।

इन दोनों में से कौन-सा भविष्य हमारे सामने आएगा, इसका निर्णय तकनीक नहीं करेगी। यह निर्णय हमारी नीतियाँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी आर्थिक प्राथमिकताएँ और हमारे सामाजिक मूल्य करेंगे।

यदि हम समय रहते कौशल विकास, नैतिक नियमन और समावेशी विकास पर ध्यान देंगे, तो एआई मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक सिद्ध हो सकता है। लेकिन यदि तैयारी के बिना केवल तकनीक को अपनाया गया, तो यह सामाजिक असमानताओं को और गहरा भी कर सकता है।

भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई मशीनों से नहीं, हमारी दूरदर्शिता से होगी

इतिहास बताता है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति अपने साथ भय भी लेकर आई और नए अवसर भी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी इसका अपवाद नहीं है। वह न तो अपने आप मानव सभ्यता का उद्धार कर देगी और न ही स्वतः उसका विनाश कर देगी। उसका वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि उसके विकास और उपयोग का नियंत्रण किन मूल्यों, नीतियों और मानवीय प्राथमिकताओं के हाथों में है।

आज सबसे बड़ा ख़तरा यह नहीं कि मशीनें मनुष्य के विरुद्ध विद्रोह कर देंगी, बल्कि यह है कि यदि समाज तैयार नहीं हुआ तो तकनीकी प्रगति के लाभ कुछ हाथों तक सीमित रह जाएँगे, जबकि करोड़ों लोग रोज़गार, कौशल और अवसरों की दौड़ में पीछे छूट जाएँगे।

आज सबसे बड़ा ख़तरा यह नहीं कि मशीनें मनुष्य के विरुद्ध विद्रोह कर देंगी, बल्कि यह है कि यदि समाज तैयार नहीं हुआ तो तकनीकी प्रगति के लाभ कुछ हाथों तक सीमित रह जाएँगे, जबकि करोड़ों लोग रोज़गार, कौशल और अवसरों की दौड़ में पीछे छूट जाएँगे। दूसरी ओर, यदि शिक्षा, कौशल विकास, उत्तरदायी एआई, प्रभावी नियमन और सामाजिक न्याय को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, तो यही तकनीक मानव क्षमता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है।

आख़िरकार, मशीनें आँकड़ों का विश्लेषण कर सकती हैं, गति बढ़ा सकती हैं और निर्णय सुझा सकती हैं,लेकिन करुणा, नैतिकता, न्याय, रचनात्मकता और दूरदर्शिता आज भी मनुष्य की सबसे बड़ी ताक़त हैं। इसलिए भविष्य का प्रश्न यह नहीं है किमशीनें कितनी बुद्धिमान बनेंगी, बल्कि यह है कि मनुष्य कितना बुद्धिमान, संवेदनशील और उत्तरदायी बना रहेगा।यदि हम इस प्रश्न का सही उत्तर खोज लेते हैं, तो एआई का युग भय का नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की अगली बड़ी छलांग का युग बन सकता है। ■■

अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ

लुभावनी बातों से सच्चाई छुपाने की कोशिश

❖डॉ. सलीम ख़ान



संयुक्त राज्य अमेरिका में भीषण गृहयुद्ध के बाद 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इसी कारण हर वर्ष स्वतंत्रता घोषणा-पत्र को स्वीकृति मिलने के दिन को स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे किए, इसलिए पूरे देश में भव्य समारोहों का आयोजन किया गया।

पश्चिमी देशों में उत्सव का अर्थ आमतौर पर आतिशबाज़ी और परेड से होता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में स्वतंत्रता दिवस के समारोह लगभग दो सप्ताह तक चलते रहे। इन समारोहों का उद्घाटन करते हुए 24 जून को ट्रंप ने कहा था, "मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि अमेरिका वापस आ गया है।" इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है मानो अमेरिका कहीं भटक गया था या खो गया था और सत्ता में आने के बाद ट्रंप उसे फिर से सही रास्ते पर ले आए हों।

समारोह के समापन चरण में वॉशिंगटन के नेशनल मॉल में स्थित अमेरिका के संस्थापक नेताओं की स्मृतियों के बीच पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक बड़े पैमाने पर आतिशबाज़ी का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मौसम की गर्मी के बावजूद वॉशिंगटन डी.सी. में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।

न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज के निकट आतिशबाज़ी के दौरान आग लग गई, जिससे समारोह देखने आए लोगों में अफ़रा-तफ़री मच गई। विदेशी मीडिया के अनुसार, आतिशबाज़ी के दौरान धुआं और लपटें उठती दिखाई दीं, लेकिन बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आग पुल पर नहीं बल्कि आतिशबाज़ी के लिए बनाए गए प्लेटफ़ॉर्म पर लगी थी। लगभग एक मिनट में आग पर क़ाबू पा लिया गया और किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं मिली।

स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी वाली रात न्यूयॉर्क शहर के कोनी आइलैंड क्षेत्र में गोलीबारी की एक घटना भी हुई, जिसमें चार बच्चों सहित कम-से-कम आठ लोग घायल हो गए। घटनास्थल से एक हथियार बरामद किया गया, लेकिन किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई।

अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस दौरान अमेरिकी नागरिकों द्वारा इसराईली झंडे जलाने के वीडियो सोशल मीडिया पर

वायरल हो गए। कई लोगों ने पारंपरिक आतिशबाज़ी और देशभक्ति के प्रदर्शन के बजाय इसराईल के झंडे जलाए और उन्हें पैरों तले रौंदा। इन वीडियो ने अमेरिका और इसराईल के संबंधों पर सोशल मीडिया में नई बहस छेड़ दी। वीडियो में अमेरिकी नागरिक इसराईल के अमेरिका पर प्रभाव तथा फ़िलिस्तीनियों के कथित नरसंहार को लेकर तीखी आलोचना करते दिखाई दिए।

इसी अवसर पर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि ट्रंप इस समारोह का उपयोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेखक के अनुसार, ऐसा करना दुनिया भर के लोकतांत्रिक नेताओं की सामान्य प्रवृत्ति है और ट्रंप तो इस मामले में सबसे आगे हैं।

अमेरिका में ये समारोह उस समय आयोजित हुए जब ईरान की जनता अपने रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई के जनाज़े को विजय-उत्सव में बदलकर पूरी दुनिया को शहादत और बहादुरी का एक अनोखा संदेश दिया। जनाज़े के लिए इन तिथियों का चयन अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के साथ एक विशेष उद्देश्य के तहत किया गया था।

कई घंटों की देरी से शुरू हुए अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मानव सभ्यता की "सबसे महान उपलब्धि" है और उनके नेतृत्व में अब अपनी शक्ति और वैभव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है। लेकिन इसी वर्ष किए गए प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 29 प्रतिशत उत्तरदाता देश की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट थे, जबकि 69 प्रतिशत ने असंतोष व्यक्त किया। वर्ष 2000 के शुरुआती दशक में इसी सर्वेक्षण में संतुष्ट और असंतुष्ट लोगों की संख्या लगभग बराबर हुआ करती थी।

अमेरिका जैसे अत्यधिक स्वतंत्र समाज से उच्च नैतिक मूल्यों की अपेक्षा करना कठिन हो सकता है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा समर्थक होने के कारण कम-से-कम उसे आर्थिक रूप से समृद्ध तो होना ही चाहिए था। वर्तमान समय में अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक कर्ज़दार देश है। उसका राष्ट्रीय ऋण 37 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक अमेरिकी नागरिक पर औसतन 76,000 डॉलर का क़र्ज़ है। अगर यही अमेरिका की शक्ति और वैभव का शिखर है, तो फिर पतन कैसा होगा?

वर्तमान समय में अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक कर्ज़दार देश हैं। उसका राष्ट्रीय ऋण 37 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक अमेरिकी नागरिक पर औसतन 76,000 डॉलर का क़र्ज़ है। अगर यही अमेरिका की शक्ति और वैभव का शिखर हैं, तो फिर पतन कैसा होगा?

ट्रंप का दावा है कि "अमेरिकी सेना आज जितनी शक्तिशाली है, पहले कभी नहीं थी।" इस दावे का खंडन पहले अफ़ग़ानिस्तान और अब ईरान ने कर दिया है। अपने भाषण में ट्रंप ने विदेशों में अमेरिकी कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का भी दावा किया। किसी संप्रभु देश के शासक को बंदी बनाकर उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क़ब्ज़ा करना वीरता नहीं बल्कि डकैती है। यदि कोई इस पर गर्व करता है, तो उसका कोई उपचार नहीं।

ईरान के विरुद्ध कथित पराजय के बाद भी ट्रंप का यह कहना कि, "अमेरिकी सेना पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है" और उसने "ईरान की सेना का पूरी तरह सफ़ाया कर दिया", वास्तविकता से परे और केवल डींग मारने जैसा है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि, "ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे अमेरिकी पूरा न कर सकें, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम पहुंच न सकें और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम हासिल न कर सकें।" यह समारोह चार महीने पहले हुआ होता तो संभव है कि बहुत से लोग इन दावों पर विश्वास भी कर लेते। लेकिन अब लोग ट्रंप की उन धमकियों को नहीं भूले हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि पांच हज़ार वर्ष पुरानी एक महान सभ्यता को मिटा देंगे और उसे पत्थर युग में पहुंचा देंगे। किंतु अगले ही दिन उन्होंने युद्धविराम को बढ़ा दिया और अपना घोषित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। ■■

महिला-अधिकार : ईश्वरीय व्यवस्था का अभिन्न अंग

❖अज़का हयात

"और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हीं में से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास शांति पाओ, और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दया रख दी।"

(क़ुरआन, 30:21)

आज दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा हो रही है। समानता, स्वतंत्रता और सशक्तीकरण जैसे शब्द हर मंच पर सुनाई देते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर अनदेखा रह जाता है—क्या अधिकार केवल क़ानून बना देने से सुरक्षित हो जाते हैं, या उनके पीछे एक नैतिक और आध्यात्मिक आधार भी होना चाहिए?

जब हम इतिहास पर नज़र डालते हैं, तो पाते हैं कि इस्लाम ने चौदह सौ वर्ष पहले ही महिलाओं को वह सम्मान, सुरक्षा और अधिकार प्रदान किए थे, जिनकी कल्पना भी उस समय के अधिकांश समाज नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में, जब बेटियों को जीवित दफ़ना दिया जाता था, महिलाओं को विरासत से वंचित रखा जाता था और उन्हें स्वयं एक संपत्ति समझा जाता था, इस्लाम ने घोषणा की कि महिला अल्लाह की सम्मानित सृष्टि है, जिसके अधिकार किसी इंसान की कृपा नहीं, बल्कि उसके रब का आदेश हैं।

आज आवश्यकता केवल इन अधिकारों का उल्लेख करने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने, अपनाने और उनकी रक्षा करने की है।

महिला सम्मान

इस्लाम महिलाओं के अधिकारों की शुरुआत सम्मान से करता है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"ऐ लोगो! अपने उस रब से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया।"

(क़ुरआन, 4:1)

यह आयत स्पष्ट करती है कि पुरुष और महिला की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है। श्रेष्ठता का आधार केवल तक़वा (ईश-परायणता) है, न कि लिंग-भेद।

अल्लाह फ़रमाता है–

"निश्चय ही अल्लाह के निकट तुममें सबसे अधिक सम्मानित वही है, जो सबसे अधिक तक़वा वाला है।"

(क़ुरआन, 49:13)

यही इस्लाम का मूल संदेश है—महिला का सम्मान उसकी सुंदरता, सामाजिक स्थिति या आर्थिक क्षमता पर निर्भर नहीं करता। उसका सम्मान इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने उसे सम्मान प्रदान किया है।

इस्लाम द्वारा दिए गए अधिकार

1. जीवन का अधिकार : अरब समाज में कुछ अहंकारी पिता अपनी बेटियों को ज़िंदा दफ़्न कर दिया करते थे। इस्लाम ने इस क्रूर प्रथा का अंत किया।

"और जब जीवित दफ़न की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि किस अपराध पर उसे मारा गया?" (क़ुरआन, 81:8–9)

यह आयत मानव इतिहास में महिलाओं की गरिमा की सबसे सशक्त घोषणाओं में से एक है।

2. शिक्षा का अधिकार : पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया–

"ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान पुरुष और महिला पर अनिवार्य है।" (हदीस : इब्ने-माजा)

इसके अलावा कई हदीसों में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने लोगों को आदेश दिया है कि बेटियों को शिक्षा और प्रशिक्षण अवश्य दें। एक हदीस में नबी (सल्ल.) ने कहा–

"जिसकी तीन बेटियां हों और वह उन्हें खिलाए-पहनाए और उनकी अच्छी परवरिश करे तो उसपर जहन्नम की आग हराम है।" (हदीस : तबरानी)

अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की पत्नी और मुसलमानों की मां हज़रत आयशा बिन्त अबू-बक्र (रज़ि.) इस्लामी इतिहास की सबसे महान विदुषियों में से थीं। सैकड़ों सहाबा उनसे हदीस, फ़िक़्ह और अन्य धार्मिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे।

3. आर्थिक स्वतंत्रता : इस्लाम ने महिला को अपनी संपत्ति रखने, व्यापार करने और अपनी कमाई पर पूर्ण

अधिकार दिया।

हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) स्वयं एक सफल व्यवसायी थीं। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने कभी उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया।

4. विरासत का अधिकार : अल्लाह फ़रमाता है–

"पुरुषों के लिए भी हिस्सा है और महिलाओं के लिए भी हिस्सा है उस संपत्ति में, जो माता-पिता और निकट संबंधी छोड़ जाएं।" (क़ुरआन, 4:7)

जब दुनिया के अधिकांश समाजों में महिलाओं को विरासत का अधिकार नहीं था, तब इस्लाम ने इसे उनका धार्मिक अधिकार घोषित किया।

5. विवाह में सहमति : पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने एक ऐसी महिला का विवाह निरस्त कर दिया, जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए बाध्य किया गया था।

यह दर्शाता है कि इस्लाम में विवाह केवल परिवारों का समझौता नहीं, बल्कि महिला की स्वतंत्र सहमति पर आधारित एक अनुबंध है।

महिलाओं के साथ व्यवहार–पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का आदर्श

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया–

"तुममें सबसे श्रेष्ठ वह है, जो अपनी पत्नी के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता है, और मैं तुम सबमें अपनी पत्नियों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला हूं।"

(हदीस : तिर्मिज़ी)

उन्होंने कभी किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया। वे घर के कामों में सहयोग करते थे, अपनी पत्नियों से परामर्श करते थे और उन्हें पूरा सम्मान देते थे।

अपनी पत्नी उम्मे-सलमा (रज़ि.) की सलाह को उन्होंने संधि हुदैबिया के कठिन अवसर पर स्वीकार किया। इससे स्पष्ट होता है कि इस्लाम में महिलाओं की बुद्धिमत्ता, परामर्श और राय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

कुरीतियों और इस्लाम में अंतर

दुर्भाग्य से आज कई समाजों में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को इस्लाम का नाम दे दिया जाता है। बेटियों को विरासत से वंचित करना, लड़कियों की शिक्षा रोकना, जबरन विवाह कराना, घरेलू हिंसा को धार्मिक रंग देना और महिलाओं की आवाज़ दबाना, इनमें से कोई भी इस्लामी शिक्षा का हिस्सा नहीं है।

हमें यह समझना होगा कि हर परंपरा इस्लाम नहीं है। मुसलमानों की ग़लतियां इस्लाम की शिक्षाएं नहीं बन जातीं। आज इन अधिकारों की रक्षा पहले से अधिक आवश्यक है। आज महिलाएं एक अलग प्रकार के संकट का सामना कर रही हैं। इस्लाम में महिलाओं के अधिकार आधुनिक विचारधाराओं की देन नहीं हैं। वे अल्लाह की ओर से प्रदान किए गए दिव्य अधिकार हैं। हमारी बेटियों को यह जानना चाहिए कि उनको सम्मान समाज ने उन्हें नहीं दिया, बल्कि उनके रब ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है।

हमारे बेटों को यह सीखना चाहिए कि वास्तविक मर्दानगी, शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि न्याय, दया और सम्मान में निहित है। यदि समाज वास्तव में क़ुरआन और सुन्नत की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले, तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अधिकांश अन्याय स्वतः समाप्त हो सकते हैं।

आज आवश्यकता महिलाओं को नए अधिकार देने की नहीं, बल्कि उन अधिकारों को ईमानदारी से लागू करने की है, जो ईश्वर ने उन्हें पहले ही प्रदान कर दिए हैं और जो मानवजाति के लिए अवतरित उसके अंतिम ग्रंथ क़ुरआन में दर्ज हैं। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना केवल एक सामाजिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक इबादत है। यह अल्लाह की उस अमानत की हिफ़ाज़त है, जिसे उसने हमारे हवाले किया है। यही वह ज़िम्मेदारी है, जो एक न्यायपूर्ण, दयालु और संतुलित समाज की नींव रखती है। ■■

आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) दुनिया और दीन (धर्म) की आंखों का तारा हैं। आप (सल्ल.) की रहनुमाई से इन्सानों की आंखों को रोशनी मिलती है, जिससे वे अंधेरे से उजाले की ओर और गुमराही से आगाही की ओर आते हैं :

तूफ़ाने-ज़िन्दगी का सहारा तुम्हीं तो हो
दरिया-ए-मारिफ़त का किनारा तुम्हीं तो हो

मिलती है तुमसे उनकी निगाहों को रौशनी
दुनिया व दीं की आंखों को तारा तुम्हीं तो हो

जाती है अर्श तक यह तुम्हारे ही फ़ैज़ से
मेरी दुआ के दिल का सहारा तुम ही तो हो।

–पंडित बालमुकुन्द 'अर्श' मलसियानी

कटाक्ष

“देते हैं भगवान को धोखा...इन्सां को क्या छोड़ेंगे”

❖सुफ़ियान अहमद

पवित्र धार्मिक स्थलों में दान की क़ीमत उसकी राशि में नहीं, भावना में होती है। लेकिन कुछ लोगों ने भावनाओं का भी बाज़ार भाव तय कर लिया। जिस स्थान पर भक्त अपने पाप धोने जाते हैं, यदि वहीं से कोई पाप की कमाई करने लगे, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा!

हमारे यहां कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। कुछ लोगों ने शायद इसका अर्थ यह निकाल लिया कि भगवान को भाव चाहिए, इसलिए धन का भाव हम रख लेते हैं।

यदि सीसीटीवी हो, सुरक्षा हो, ऑडिट हो और फिर भी माल ग़ायब हो जाए, तो समझिए चोर बाहर नहीं, व्यवस्था के भीतर ही बैठा है।

सबसे रोचक दृश्य तब सामने आता है जब किसी घोटाले के बाद सबसे पहले इस्तीफ़े आते हैं। इस्तीफ़ा देकर लोग मान लेते हैं कि अब जनता को भी त्याग कर देना चाहिए; सवाल पूछने का त्याग, जवाब मांगने का त्याग और याद रखने का त्याग।

हमारे देश में इस्तीफ़े का भी बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। अपराध छोटा हो या बड़ा, यदि समय पर इस्तीफ़ा दे दिया जाए तो कुछ लोगों की नज़र में आधा प्रायश्चित अपने-आप हो जाता है। बाक़ी आधा काम समय कर देता है। कुछ महीनों बाद वही लोग किसी नए मंच पर फिर से नैतिकता का भाषण देते दिखाई पड़ते हैं।

अचरज तो इस बात का भी है कि धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता की बात होते ही कुछ लोग उसे आस्था पर हमला बताने लगते हैं। मानो हिसाब-किताब मांगना अधर्म हो गया हो। जबकि सच्चाई तो यह है कि जहां ईमानदारी होगी, वहां पारदर्शिता से डर कैसा?

भक्ति का अर्थ कभी भी अंधविश्वास नहीं रहा। रामायण में भी मर्यादा का महत्व है, जवाबदेही का महत्व है। यदि राजा तक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो फिर किसी ट्रस्ट, समिति या प्रबंधन से प्रश्न पूछना कैसे अनुचित हो गया?

मज़ेदार बात यह है कि जब दान मांगा जाता है, तब करोड़ों श्रद्धालु “परिवार” कहलाते हैं। लेकिन जब वही श्रद्धालु पूछ लें कि उनके दान का हिसाब कहां है, तब उन्हें राजनीति, षड्यंत्र और विरोधी विचारधारा का एजेंट घोषित करने में देर नहीं लगती।

समस्या किसी एक मंदिर, दरगाह, एक ट्रस्ट या एक धर्म की नहीं है। जहां भी आस्था है, वहां ईमानदारी उससे भी बड़ी ज़िम्मेदारी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च का दानपात्र मात्र किसी धर्म का नहीं, लोगों के विश्वास का पात्र होता है। उसमें डाला गया प्रत्येक सिक्का किसी ग़रीब की बचत, किसी मां की मन्नत, किसी किसान की मेहनत और किसी बुज़ुर्ग की श्रद्धा का प्रतीक होता है।

इसलिए चोरी केवल धन की नहीं होती; चोरी विश्वास की होती है। और विश्वास की चोरी का कोई बीमा नहीं होता।

यदि सचमुच किसी ने भगवान के नाम पर आए दान को अपनी तिजोरी तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसे समाज और क़ानून के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ताकि आस्था की आरती में ईमानदारी का दीपक बुझने न पाए। ■■



Whatsapp (9818799223) your complete address with screenshot of payment

धमकी और सामाजिक बहिष्कार



(गतांक से आगे)

❖मुशर्रफ़ अली

अपनी चाल की नाकामी और अपमान के बाद मक्का के बहुदेववादियों के ग़ुस्से की आग और भड़क उठी। अब वे किसी क़ीमत पर भी इस्लामी आन्दोलन को रोक देना चाहते थे। अबू-तालिब मक्का वालों और मुहम्मद (सल्ल०) के बीच एक मज़बूत दीवार बनकर खड़े थे। इसलिए वे सीधे अबू-तालिब के पास पहुंचे और निर्णायक अन्दाज़ में उनसे बोले, या तो आप अपने भतीजे को रोक लीजिए या हम आप दोनों के साथ एक ऐसा युद्ध छेड़ देंगे जो दोनों में से किसी एक पक्ष के अन्त पर ही समाप्त होगा।

अबू-तालिब इस धमकी से बहुत प्रभावित हुए उन्होंने मुहम्मद (सल्ल०) से बात की और कहा कि भतीजे! इस मामले में मुझपर इतना बोझ न डालो कि मेरी सहन-शक्ति से बाहर हो जाए। नबी (सल्ल०) को महसूस हो गया कि चचा कमज़ोर पड़ रहे हैं और वे भी साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपने पूरे विश्वास के साथ कहा कि चचा जान! अल्लाह की क़सम अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद लाकर रख दें कि मैं इस काम को छोड़ दूं तब भी मैं इसे उस समय तक नहीं छोड़ सकता जब तक या तो यह काम पूरा हो जाए या मैं काम आ जाऊं। यह कहकर आप रो पड़े और उठ गये।

अबू-तालिब ने उन्हें बुलाया और कहा, भतीजे! जाओ जो कुछ तुम कर रहे हो उसे जारी रखो, जब तक मैं ज़िन्दा हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। जब मक्का वालों ने देखा कि मुहम्मद (सल्ल०) का काम लगातार जारी है तो वे एक बार फिर अबू-तालिब के पास आये। वे अपने साथ एक बांका और सुन्दर नवजवान लाये थे। यह नवजवान अबू-तालिब को पेश करते हुए उन्होंने कहा, आप इसे अपना लड़का बना लें और इसके बदले अपना भतीजा हमारे हवाले कर दें। जिसने आपके पूर्वजों के धर्म के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ रखा है और जिसके कारण हमारी क़ौम बिखराव का शिकार है।

अबू-तालिब ने कहा कि तुम कितना बुरा सौदा मुझ से करने आये हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं इसे खिलाऊं-पिलाऊं इसका पालन-पोषण करूं और मुझ से मेरा बेटा मांगते हो कि तुम उसकी हत्या कर दो। अल्लाह की क़सम यह नहीं हो सकता।

वे लोग, कि मूर्तिपूजा ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, इसे इन्साफ़ की बात कह रहे थे और अबू-तालिब पर यह भी आरोप लगा रहे थे कि वे उनकी इन्साफ़ की बातों को क़ुबूल नहीं करते हैं। यह बात नुबूवत के छठे वर्ष के मध्य की है। क़ुरैश की जो चाल भी नाकाम होती तो उसका ख़मियाज़ा भी मुसलमानों को भुगतना पड़ता। वे अत्याचार और बढ़ा देते। अबू-तालिब ने जब उनका मूर्खतापूर्ण सौदा ठुकरा दिया तब भी यही हुआ, बल्कि उनमें से कुछ जोशीले लोग तो नबी (सल्ल०) की हत्या कर देने पर ही विचार करने लगे। बल्कि

हत्या की कई कोशिशें भी की गयीं, जो संयोगवश नाकाम रहीं। इसी बीच बहुदेववादियों में से दो बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली और बुद्धिमान एवं तत्वदर्शी व्यक्तियों ने इस्लाम क़ुबूल कर लिया। एक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के चचा और समानायु साथी हमज़ा और दूसरे ख़त्ताब के बेटे उमर जो आगे चलकर इस्लामी राज्य के दूसरे ख़लीफ़ा (शासक) बने। इन दोनों के मुसलमान होने के बाद मुसलमान पर खुलेआम अत्याचार कम हो गये। वे साज़िशों और षड्यंत्रों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। हमज़ा और उमर बड़े बहादुर नवजवान थे। उमर के लिए यह बात असह्य थी कि अल्लाह के बाग़ी तो खुलेआम मूर्तिपूजा करें और मुसलमान अल्लाह की इबादत छुपकर करें, इसलिए वे काबा के सामने नमाज़ पढ़ा करते थे और दूसरे मुसलमानों को भी हिम्मत दिलाते थे कि उनके साथ नमाज़ पढ़ें। कभी-कभी वे और हमज़ा मुसलमानों के एक समूह के साथ काबा के परिसर (हरम) में जाते ऐसे मौक़े पर मूर्तिपूजक सामने से हट जाते।

सामाजिक बहिष्कार

अबू-तालिब के सामने वे धमकियां भी थीं जो क़ुरैश उनके घर पर देकर गये थे और वे कोशिशें भी, जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की हत्या की की गयी थीं। अतः उन्होंने अपने परदादा के दो बेटों हाशिम और मुत्तलिब से बनने वाले परिवार को जमा किया और उन्हें दावत दी और परिवार के एक सदस्य की जान को ख़तरा है यह बताकर परिवार के हरेक सदस्य को चाहे वह मुसलमान हो गया हो या अपने पारंपरिक धर्म पर हो, उसकी सुरक्षा के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अबू-तालिब का भाई अबू-लहब जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का सबसे बड़ा दुश्मन था तैयार नहीं हुआ और पूरे परिवार से अलग होकर मक्का के बहुदेववादियों में जा मिला।

दूसरी ओर मक्का के बहुदेववादियों ने भी एक सभा बुलायी जिसमें हाशिम और मुत्तलिब की संतानों के पूर्ण बॉयकाट का फ़ैसला लिया गया। उन्होंने लिखित रूप में यह तय किया कि वे हाशिम और मुत्तलिब के परिवार वालों के साथ किसी तरह का कोई सम्बंध नहीं रखेंगे। जब तक कि अबू-तालिब मुहम्मद (सल्ल०) को उनके हवाले न कर दें, ताकि वे हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की हत्या कर दें। यह दस्तावेज़ लिखकर काबा में लटका दी गयी। दस्तावेज़ लटकाने का मक़सद यह था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो जब तक यह दस्तावेज़ मौजूद है, बहिष्कार बरक़रार रहेगा मगर किसी प्राकृतिक कारण जैसे वर्षा आदि या किसी मनुष्य के ज़बरदस्ती हस्तक्षेप से दस्तावेज़ नष्ट हो गयी तो बहिष्कार समाप्त माना जायेगा। इसके परिणामस्वरूप अबू-लहब के सिवा हाशिम और मुत्तलिब के परिवार के सारे लोग चाहे वे ईमान ले आए हों या नहीं लाए हों, अबू-तालिब की घाटी में एक तरह से क़ैद होकर रह गये और बाहर की दुनिया से उनका सम्पर्क टूट गया।

सामाजिक बायकाट और आर्थिक नाकेबन्दी के कारण नबी (सल्ल०) के रिश्तेदारों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खाद्य सामग्री का मिलना बन्द हो गया। मक्का में कोई व्यापारी जो सामान लेकर आता था उसे बहुदेववादी ख़रीद लेते थे और अबू-तालिब की घाटी वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ते थे। कई बार तो वे व्यापारी को अधिक मूल्य देने को भी तैयार हो जाते थे ताकि व्यापारी सारा माल उन्हें बेच दे।

लेकिन साथ ही मक्का में ऐसे लोग भी थे जो छुप-छुपाकर बॉयकाट पीड़ितों की मदद करते थे। इनमें अधिकतर लोग वे थे जिनका इन परिवारों से शादी-विवाह का सम्बन्ध था। ये लोग ऊंट पर अनाज और अन्य आवश्यक सामग्रियां लादकर उसे रात में अबू-तालिब के घर की ओर हंका देते थे। इनके अलावा कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जो ज़्यादा मूल्य छोड़कर छिप-छिपाकर अबू-तालिब की घाटी की ओर आते और बहिष्कृत लोगों को सस्ता सामान उपलब्ध कराते।

दूसरे क़बीलों के मुसलमान विशेषकर अबू-बक्र और उमर नाकेबन्दी को विफल बनाने की कोशिशों में लगे रहते थे। लेकिन इस सबके बावजूद इन दोनों परिवारों के लिए खाने के सामानों की कमी लगातार बनी रहती थी और कई बार तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती। ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों को पत्ते और जानवरों का चारा खाना पड़ा। बहिष्कार के बीच भी चूंकि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की हत्या का ख़तरा बना हुआ था, इसलिए अबू-तालिब लगभग हर रात को जब सब सो जाते तो कुछ देर बाद हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को उठाकर अपने किसी बेटे के बिस्तर पर सुला देते और उस बेटे को आपके बिस्तर पर।

नाकेबन्दी को दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था, लेकिन बहुदेववादियों को इसका वांछित लाभ नहीं मिला था, बल्कि अवांछित परिणाम यह निकला था कि इस बहिष्कार की चर्चा अरब के दूर-दराज़ इलाक़ों तक पहुंच गयी थी और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और उनका दीन लोगों के ध्यान का केन्द्र बन गया था। क़ुरैश में भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो बहिष्कार को समाप्त कर देना चाहते थे।

ऐसे कई लोगों ने मिलकर काबा में लटकी दस्तावेज़ को फाड़ देने की योजना भी बनायी थी। जब ये लोग दस्तावेज़ लाकर सबके सामने फाड़ने के लिए तैयार हुए तो पाया कि दस्तावेज़ को कीड़ों ने पहले ही नष्ट कर रखा है, केवल सबसे ऊपर लिखा "तेरे नाम से ऐ अल्लाह" सुरक्षित है।

सामाजिक बॉयकॉट और आर्थिक नाकेबन्दी समाप्त होने के बाद अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने पहले की तरह दीन के प्रसार का काम शुरू कर दिया और साथ ही बहुदेववादियों की ओर से विरोध और दबाव भी शुरू हो गया। अबू-तालिब भी अपने भतीजे के बचाव में पूरी तरह सक्रिय हो गये। मगर अब उनकी उम्र अस्सी वर्षों से ज़्यादा हो चुकी थी। भतीजे की मुहब्बत में उन्होंने सारे अरब को अपना दुश्मन बना लिया था। लगभग तीन वर्षों की नाकेबन्दी ने उनकी कमर तोड़ दी थी। अब वे बीमार रहने लगे थे। उनके फिर से स्वस्थ होने की अब किसी को उम्मीद न थी। बहुदेववादियों ने सोचा कि अबू-तालिब के जीवन में ही मुहम्मद का मामला तय कर लेना चाहिए, उनके मरने के बाद अगर हमने उसपर अत्याचार किया तो यह बड़ी बदनामी की बात होगी। यही सोचकर बहुदेववादियों में से 25 गणमान्य व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल अबू-तालिब से मिलने आया और कहा कि हम चाहते हैं कि आपके सामने ही मुहम्मद का हमारे साथ कोई समझौता हो जाए जिसके अनुसार दोनों पक्ष अपने-अपने धर्म पर जमे रहें और एक-दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप न करे। अबू-तालिब ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को बुलाया और उनके सामने प्रतिनिधिमंडल का पक्ष प्रस्तुत किया, जवाब में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करके कहा : आप लोग यह बताएं कि अगर मैं एक ऐसी बात कहूं, जिसे अगर आप मान लें तो अरब के शासक बन जाएं और सारी दुनिया आपके अधीन हो जाए तो आपकी राय क्या होगी? थोड़ी देर सोचने के बाद प्रतिनिधिमंडल की ओर से अबू-जहल ने कहा, बताओ वह बात क्या है? हम ऐसी एक क्या दस बातें मानने को तैयार हैं। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा कि आप लोग यह स्वीकार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, और अल्लाह के सिवा जो कुछ भी पूजते हैं, उसे छोड़ दें।

यह सुनते ही वे बिफर गये और हाथ हिला-हिलाकर ज़ोर-ज़ोर से कहने लगे तुम चाहते हो कि सारे उपास्यों की जगह एक ही उपास्य बना डालो, सच में तुम्हारा मामला बड़ा विचित्र है। फिर आपस में यह कहते हुए उठ गये कि यह आदमी हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं आओ हम अपने धर्म पर जाएं, अब अल्लाह ही हमारे और इसके बीच फ़ैसला करेगा।

कुछ दिनों के बाद नुबूवत के दसवें वर्ष में अबू-तालिब की मौत हो गयी। उनकी मौत के साथ ही इस्लामी दावत के बचाव का एक मज़बूत क़िला मानो ध्वस्त हो गया। अबू-तालिब की मौत को अभी दो महीने भी नहीं गुज़रे थे कि हर मुश्किल समय में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का साथ देने वाली आपकी ग़मगुसार पत्नी हज़रत ख़दीजा (रज़ि०) का भी इन्तिक़ाल हो गया। ख़दीजा की उम्र उस समय 65 वर्ष थी। वे 25 वर्षों तक आपके साथ रहीं। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने ख़ुद कहा कि जब सबने मुझे झुठलाया तो ख़दीजा ने मेरी पुष्टि की थी, सबने मुझे वंचित किया तो उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया। अबू-तालिब की मौत के बाद बहुदेववादियों का दुस्साहस बहुत बढ़ गया। उन्होंने आपको ऐसी पीड़ा देनी शुरू कर दी, जो अबू-तालिब के जीवित रहते सोची भी नहीं जा सकती थी। ■■

आवश्यक सूचना

मासिक पत्रिका कान्ति के सभी पाठकों, विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों को सूचित किया जाता है कि

छपाई तथा संबंधित लागत में वृद्धि के कारण 'कान्ति मासिक' की सहयोग राशि में वृद्धि करना पड़ रही है। आशा है हमारे सम्मानित सहयोगकर्ता हमारी मजबूरी को समझ रहे होंगे। सितम्बर 2026 से प्रत्येक अंक की राशि 30 रुपये से बढ़कर 40 रुपये होगी तथा वार्षिक सहयोग राशि 350 रुपये से बढ़कर 450 रुपये होगी।

नोट : पुराने ग्राहक अपनी ख़रीदारी को 20 अगस्त 2026 या उससे पूर्व पुरानी दरों पर ही रिन्यू करा सकते हैं।

अभी संपर्क करें :
8920589292, 9891160829
mgrdawat@gmail.com

दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर

अंतिम हज का संबोधन

अपने अंतिम हज के अवसर पर पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने सवा लाख अनुयायियों के समक्ष जो महत्वपूर्ण भाषण दिवा था, वह हदीस की पुस्तकों में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यह आदेश-निर्देश मानवाधिकारों का ऐसा चार्टर है जिसका उदाहरण पहले तो क्या आज भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसकी विशेषता यह है कि यह समाज में पूरे तौर पर लागू हुआ। इस महत्वपूर्ण भाषण का सार प्रस्तुत है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा- "लोगो! मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है इस वर्ष के बाद इस स्थान पर मैं तुम से कभी न मिल पाऊं। अज्ञानकाल की समस्त रीतियां मेरे पैर के नीचे हैं (अर्थात् निरस्त कर दी गयी हैं), लोगो! तुम सबका प्रभु एक है और बाप भी एक है। किसी अरब वाले को किसी ग़ैर-अरब पर बड़ाई नहीं, न किसी गोरे को काले पर, बड़ाई केवल परहेज़गारी के आधार पर है।

हर मुसलमान दूसरे का भाई है, लोगो! तुम्हारी जान और माल एक-दूसरे पर हराम हैं। जिस प्रकार यह (हज का) दिन है, यह महीना है और वह नगर (मक्का) है। (अर्थात् जान-माल को हानि पहुंचाना निषिद्ध है)

अपराधी अपने अपराध के लिए स्वयं ज़िम्मेदार है, उसके पिता या पुत्र से बदला नहीं लिया जाएगा।

तुम्हारे ग़ुलाम-तुम जो स्वयं खाओ वही उनको खिलाओ, जो स्वयं पहनो यही उनको पहनाओ।

अज्ञानकाल के हत्या के समस्त प्रकरण (जिसमें बदला लेने का चक्र चलता था) निरस्त किये जाते हैं। ब्याज के सभी अनुबंध समाप्त किये जाते हैं, हां अपना मूलधन प्राप्त करने के तुम अधिकारी हो। सबसे पहले में अपने ही परिवार के अब्बास-बिन-अब्दुल मुत्तलिब का सूद ख़त्म करता हूं।

ऐ लोगो! तुम अपनी पत्नियों पर अधिकार रखते हो और वे भी तुम पर अधिकार रखती हैं। तुम्हारी ओर से उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे तुम्हारे बेडरूम (शयनकक्ष) में किसी ग़ैर को न आने दें, क्योंकि यह तुम्हें सहन नहीं है और उन पर स्वयं भी अनिवार्य है कि वे अश्लीलता का कोई कार्य न करें। मैं औरतों के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूं कि उनके साथ भला व्यवहार करो।

ऐ लोगो! मेरे बाद कोई संदेष्टा नहीं और न ही तुम्हारे बाद कोई नई उम्मत (समुदाय) पैदा होगी, इसलिए अपने प्रभु पालनहार की उपासना करो, पांचों समय की नमाज़ पढ़ो, रमज़ान मास के रोज़े रखो, अपने माल में से शुद्ध मन से ज़कात दो, अपने प्रभु के घर का दर्शन (हज) करो और अपने अमीर (इस्लामी शासक) का आज्ञापालन करो ताकि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। यदि कोई नक्टा हब्शी अमीर हो और वह ईश्वर के ग्रंथ (क़ुरआन) के अनुसार चले तो उसकी बात सुनो और आज्ञापालन करो।

मैं तुम्हारे बीच ऐसी चीज़ छोड़ रहा हूं कि यदि तुम उसे मज़बूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते—वह है अल्लाह की किताब (क़ुरआन) और मेरी सुन्नत (हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का व्यवहार जो हदीस के रूप में सुरक्षित है)।"

अंत में निर्देश दिया कि उपस्थित जन इन उपदेशों को उन लोगों तक पहुंचा दें जो यहां उपस्थित नहीं हैं। ■■

with best compliment from

Jamaat-e-Islami Hind
Karbala, Jaipur (Raj.)

KANTI Monthly, New Delhi
August 2026
Posted on 20-21 July 2026
Published on 18 July 2026
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

